



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-04102024-257698
CG-WB-E-04102024-257698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 761]
No. 761]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

कोलकाता, 27 सितंबर, 2024

सं. जी/20-सीडब्ल्यूए/9/2024.—लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उप धारा 5 के अनुसरण में, काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और इस इंस्टीट्यूट के लेखापरीक्षित लेखों को आम सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कौशिक बनर्जी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./530/2024-25]

65वीं, वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24

काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को इंस्टीट्यूट के विभागों, समितियों क्षेत्रों और चैप्टरों की उपलब्धियों और क्रियाकलापों को दर्शाते हुए 65वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2023–24
निदेशालय और इसके क्रियाकलाप
समितियों/ बोर्डों/ प्रकोष्ठों/ निदेशालयों के क्रियाकलाप

✓ अध्यक्ष का कार्यालय

दिल्ली और कोलकाता स्थित अध्यक्ष का कार्यालय इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष की ओर से इंस्टीट्यूट के विभागों और बाहरी एजेंसियों के साथ विभिन्न क्रियाकलापों के समन्वयन में सुविधा प्रदान करता है। विभाग परिषद के सदस्यों, पूर्व अध्यक्षों और संस्थान में उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न कार्यों और जॉब को भी पूरा करता है।

✓ परीक्षा निदेशालय

फाउंडेशन, मध्यवर्ती और अंतिम परीक्षाएं ऑफलाइन (केन्द्र – आधारित माध्यम में जून, 2023 और दिसंबर, 2023 अवधि में आयोजित की गईं। जून और दिसंबर 2023 अवधि की परीक्षाओं के लिए क्रमशः 161 और 181 परीक्षा केन्द्रों (3 विदेशी केन्द्रों सहित) में परीक्षा आयोजित की गई थी। फाउंडेशन परीक्षा के लिए कुल 31214 परीक्षार्थी थे और मध्यवर्ती एवं अंतिम परीक्षा के लिए जून व दिसंबर, 2023 अवधि में 179079 परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। सभी परीक्षाओं के परिणाम समय अनुसूची को ध्यान में रखकर और मानकों को पूरा करते हुए सुचारु रूप से प्रकाशित किए गए थे।

✓ वित्त विभाग

वित्त विभाग से इनपुट के लिए परिषद द्वारा यथा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे और लेखापरीक्षित रिपोर्ट है।

✓ अध्ययन निदेशालय

निदेशालय मुख्य रूप से छात्रों से संबंधित क्रियाकलापों पर ध्यान दे रहा है और ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अनेक क्रियाकलाप करके उन्हें हमेशा ही बेहतर तरीके से सेवा देने के लिए प्रयास कर रहा है। वर्तमान में, इसकी 6 अलग अलग शाखाएं हैं :

- (क) शैक्षणिक
- (ख) प्रशासन
- (ग) ऑनलाइन कोचिंग/ ई-लर्निंग
- (घ) कौशल प्रशिक्षण
- (ङ) व्यावहारिक प्रशिक्षण
- (च) आई ओ टी पी

एक ओर जहां अध्ययन निदेशालय (डी. ओ. एस.) की शैक्षणिक शाखाएं विभिन्न शैक्षणिक मामलों के ज्ञान, समझ, प्रयोग और विश्लेषण के माध्यम से छात्रों को कौशल का विकास करने के कार्य प्रदान करता है, वहीं डी.ओ.एस. की प्रशासनिक शाखा छात्रों के अन्य कार्यात्मक क्रियाकलापों जैसे प्रवेश, कोचिंग, पुनः वैधीकरण,

छूट, प्रशिक्षण और सभी संबद्ध मामलों का संचालन करता है। कुछ क्रियाकलापों का इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से संचालन और उनकी देख रेख की जाती है।

✓ सदस्यता विभाग

सदस्यता विभाग ने वर्ष के दौरान सदस्यों को अधिकांशतः ऑनलाइन माध्यम से निर्बाध सेवाओं में सुधार करना और प्रदान करना जारी रखा। सदस्यों के लिए डिजिटल सुविधा की निरंतरता बनाए रखते हुए, विशेष रूप से ऑनलाइन सदस्य पहचान पत्र प्राप्त करने तथा प्रत्येक सप्ताह सदस्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के साथ-साथ, पहले शुरू की गई विशेष सुविधाओं को जारी रखा गया तथा कुछ नई सुविधाएं भी शुरू की गईं।

विभाग की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- ❖ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट को बहाल करने के लिए प्रावधान करना।
- ❖ सदस्यों द्वारा ऑनलाइन भुगतान करने में सुविधा शुल्कों / बैंक प्रभारों को माफ करना।
- ❖ सदस्यता संख्या के समक्ष जी एस टी नंबर को शामिल करने का प्रावधान तथा संबंधित सदस्यता शुल्क की रसीदों में इसे दर्शाने का प्रावधान करना।
- ❖ बिना लॉगिन किए ऑनलाइन सदस्यता शुल्क के भुगतान की सुविधा प्रदान करना।
- ❖ नियमित रूप से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्रदान करने में तेजी लाना।
- ❖ सदस्यों की सूची के साथ-साथ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट रखने वाले सदस्यों की सूची प्रकाशित करना।
- ❖ मोबाइल ओ टी पी आधारित लॉगिन सिस्टम की सुविधा शुरू करना।
- ❖ सदस्यता के लिए नए आवेदकों के मोबाइल नं. और ईमेल आईडी का ओ टी पी आधारित सत्यापन करना।
- ❖ एसोसिएट और फेलो सदस्यता प्रमाणपत्रों पर सदस्य के फोटो और हस्ताक्षर की शुरुआत करना।
- ❖ जिन सदस्यों के नाम पहले सदस्यता शुल्कों का भुगतान न किए जाने के कारण हटा दिए गए थे, उनके लिए एक बारगी छूट/माफी योजना की शुरुआत करना।
- ❖ ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से सदस्यता के सभी क्रियाकलापों को शामिल करते हुए एक बाधा रहित डिजिटल अनुभव के लिए निरंतर सुधार करते रहना।

✓ जर्नल और प्रकाशन निदेशालय

- ❖ निदेशालय द्वारा मासिक जर्नल "द मैनेजमेंट अकाउंटेंट" और तिमाही जर्नल "रिसर्च बुलेटिन" का नियमित आधार पर प्रकाशन किया जाता है।
- ❖ अब द मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल विश्व भर के 94 देशों में उपलब्ध है और देश के अन्य भागों के लिए भी इसे निरंतर आधार पर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- ❖ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल तृतीय पक्षों अर्थात् मैग्जटर और रेडव्हेयर के माध्यम से पढ़ने के लिए ऐप पर उपलब्ध है और निदेशालय इसे अन्य प्लेटफार्म मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध करने के लिए भी प्रयास कर रहा है।

- ❖ बहुचर्चित कालम "डिजिटल ट्रांसफार्मेशन" में अनेक विषयों पर चर्चा की गई, जैसे डिजिटल लीडर और डिजिटल लीडरशिप, बिग डेटा एनालिटिक्स से 8वीं से चुनौतियों के प्रति सृजन के लिए वेब3 और टोकनाइजेशन आदि।
- ❖ सस्टेनेबिलिटी लीफ के लिए कॉलम।
- ❖ प्रसिद्ध व्यक्तियों के साक्षात्कार।

✓ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग से इंस्टीट्यूट के हितधारकों के लिए सेवाएं तेजी से बहतर होती जा रही हैं, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट के समग्र विकास में योगदान दे रही है।

- ❖ परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव, 2023
- ❖ जियो टी वी पर आईसीएमएआई चैनल का सीधा प्रसारण किया गया है
- ❖ फिक्सड असेट मैनेजमेंट सिस्टम का विकास
- ❖ ग्लोबल समिट 2023
- ❖ माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पर एप्लिकेशन और डेटाबेस सर्वर का स्थानांतरण
- ❖ ईमेल पते बनाना
- ❖ सदस्य ऑनलाइन प्रणाली
- ❖ छात्र ऑनलाइन प्रणाली
- ❖ हेल्पडेस्क पोर्टल
- ❖ एज्यू कनेक्ट पोर्टल
- ❖ आईसीएमएआई वेबसाइट पर चैट बॉट का शुभारंभ
- ❖ टी आर डी और बी एफ एस आई
- ❖ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नए खंडों का विकास
- ❖ सी एम ए अवार्ड 2022 के दौरान आईटी सहायता
- ❖ ऑनलाइन आयोजन
- ❖ आईटी नीति समीक्षा

✓ व्यावसायिक विकास एवं सी पी डी निदेशालय

▪ व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप

- ❖ इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधित्व पर सी एम ए की मान्यता
- ❖ सरकारी, पी एस यू, बैंकों और अन्य संगठनों के लिए प्रतिनिधित्व
- ❖ यूनिफ़ॉर्म दस्तावेज पहचान सं. (यू डी आई एन) पोर्टल
- ❖ इंस्टीट्यूट का समझौता ज्ञापन
- ❖ मार्गदर्शन टिप्पणी
- ❖ इंस्टीट्यूट के अवार्ड

- सतत शिक्षा कार्यक्रम (सी ई पी) क्रियाकलाप
 - ❖ सी ओ पी धारकों के लिए अनिवार्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (एम सी बी टी)
 - ❖ सतत शिक्षा कार्यक्रम
 - ❖ कार्यक्रम और वेबिनार
 - ❖ संयुक्त कार्यक्रम
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग
 - एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स (ए एफ ए) की एसोसिएट सदस्यता
 - अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और आयोजन
 - ❖ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स (एस ए एफ ए)
 - ❖ कांफेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसेफिक एकाउंटेंट्स (सी ए पी ए)
 - ❖ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स (आई एफ ए सी)
 - ❖ अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजन
- ✓ उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान बोर्ड
 - उन्नत अध्ययन पाठ्यक्रम
 - ऑनलाइन परीक्षाएं
- ✓ तकनीकी विभाग
 - लागत लेखांकन मानक बोर्ड (सी ए एस बी)
 - लागत लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (सी ए ए एस बी)
 - तकनीकी सेल (लागत लेखा परीक्षा एवं सांविधिक अनुपालना)
 - पीयर रिव्यू बोर्ड (पी आर बी)
- ✓ बैंकिंग वित्तीय सेवाएं एवं बीमा बोर्ड
 - क) सी एम ए को शामिल करने के लिए प्रतिनिधि पत्र
 - ख) विभिन्न अवसरों पर सी एम ए को शामिल करना
 - ग) विभिन्न प्राधिकरणों के लिए प्रतिनिधित्व
 - घ) आईआरडीएआई के लिए प्रतिनिधित्व
 - ङ) सी एम ए का दायरा बढ़ाने के लिए उच्चाधिकारियों की बैठकें
 - च) विभिन्न आयोजनों और वेबिनारों का आयोजन
 - छ) विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके बी एफ एस आई बी द्वारा कई माह समर्पित किए गए

- ज) बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित बी एफ एस आई इनसाइट समिट
- झ) बी एफ एस आई बोर्ड का प्रकाशन
- ञ) आनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- ट) दैनिक अपडेट

✓ स्थिरता मानक बोर्ड

काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कारोबारी जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट (बी आर एस आर) तथा पर्यावरणीय सामाजिक और शासन (ई एस जी) अनुपालना और प्रकटन में इंस्टीट्यूट के सदस्यों की सक्रिय भूमिका होने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में स्थिरता मानक बोर्ड (एस एस बी) का गठन किया है।

एस एस बी ने वर्ष 2023–24 के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप किए हैं :

1. वेबिनार
2. सुखीनो भवंतु नामक मासिक न्यूजलेटर
3. ई एस जी पर पाठ्यक्रम
4. वेल्यू चेन पार्टनर्स के लिए बी आर एस आर कोर और बी आर एस आर कोर के लिए आश्वासन मानकों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश
5. स्थिरता मानकों और कई अन्य को अंतिम रूप देना

✓ प्रबंधन लेखांकन समिति

इंस्टीट्यूट की प्रबंधन लेखांकन समिति प्रबंधन लेखांकन के संगत विषयों पर श्रेष्ठ प्रक्रियाएं और मार्गदर्शन के संगत विषयों पर श्रेष्ठ प्रक्रियाएं और मार्गदर्शन तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जो कि प्रैक्टिस, बिजनेस और उद्योग में सदस्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। समिति संस्थान और उसके सदस्यों तथा प्रबंधन लेखा से संबंधित अन्य संगठनों के बीच संचार सुविधा और ज्ञान के साझाकरण तथा विश्वभर में प्रबंधन लेखांकन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रबंधन लेखांकन मार्गनिर्देशों और/अथवा अच्छी प्रबंधन लेखांकन प्रक्रियाओं के जारी करने का कार्य करने का प्रस्ताव करती है।

✓ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समन्वय बोर्ड

बोर्ड में 15 सदस्य हैं, जिसके प्रमुख सी एम ए अविजीत गोस्वामी, अध्यक्ष हैं। इसमें परिषद से सदस्य और काफी पी एस यू तथा औद्योगिक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ व्यक्ति भी शामिल हैं।

✓ उद्योग समिति में सदस्य

- ❖ 'इंडस्ट्री इंसाइट्स' बुलेटिन का प्रकाशन
- ❖ एम आई आई पोर्टल – उद्योग संपर्क - [https://icmai.in/icmai/MI Industry Insights.php](https://icmai.in/icmai/MI_Industry_Insights.php)
- ❖ एम आई आई लिंकेडिन प्रोफाइल - <https://www.linkedin.com/in/members-in-industry-committee-4482052a9/>
- ❖ पांच दिवसीय ऑनलाइन सम्पर्क और ज्ञानवर्धन कार्यक्रम
- ❖ सी एफ ओ लीडरशिप समिट

✓ सहकारी विकास बोर्ड

वर्ष 2023-24 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सहकारी विकास बोर्ड ने सी एम ए – नवनीत कुमार जैन की अध्यक्षता में कार्य किया। सहकारी समितियां लोगों द्वारा बाजार में सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए जमीनी स्तर पर गठित संगठन हैं। सहकारी समितियां संविधान के तहत एक राज्य का विषय हैं अर्थात वे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन कई समितियां ऐसी हैं, जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक राज्य से अधिक राज्यों में व्याप्त हैं।

✓ आंतरिक नियंत्रण समिति

आंतरिक लेखा परीक्षा

विभाग ने दिल्ली कार्यालय सहित मुख्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों (डब्ल्यूआईआरसी, एसआईआरसी, ईआईआरसी और एनआईआरसी) तथा नौ चैप्टरों (बंगलौर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जयपुर, विजयवाड़ा, कोयंबटूर, त्रिशूर, नेल्लौर और कोचीन) के लिए वर्ष 2023-24 के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए समन्वय किया था, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रु. और उससे अधिक है और इस तरह की लेखा परीक्षा के लिए कार्य का दायरा और आवश्यक समन्वय भी प्रदान कर रहे हैं।

खरीद प्रस्ताव

विभाग मुख्यालय, दिल्ली कार्यालय में विभिन्न विभागों से प्राप्त विभिन्न खरीद प्रस्तावों के साथ-साथ क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टर के खरीद प्रस्तावों की भी जांच कर रहा है।

समान खरीद प्रक्रिया का कार्यान्वयन

✓ क्षेत्रीय परिषद और चैप्टर समन्वय समिति

समिति को निम्नलिखित कार्य प्रदान किए गए हैं :

- मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के बीच के अंतराल को पाटना।
- प्रचालनात्मक दक्षताओं को सुधारना।
- क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों को इंस्टीट्यूट के नियमों एवं विनियमों का अनुपालन में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- सक्रिय रूप से मुद्दों की पहचान करना और क्रॉस-कटिंग मुद्दों या साझा हित के मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की सुविधा प्रदान करना।

समिति की गतिविधियां :

- ❖ 2023 में क्षेत्र-वार चैप्टर बैठकें
- ❖ 2024 में राष्ट्रीय चैप्टर बैठक
- ❖ चैप्टर उपनियमों में संशोधन की पहल

✓ करियर परामर्श और प्लेसमेंट समिति

- ❖ ज्ञान के प्रसार, सी एम ए शिक्षा और करियर अवसरों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए संवर्धनात्मक, सृजनात्मक और सार्थक सामग्री शुरू करना;
- ❖ छात्रों का ध्यान आकर्षित करने और जागरूकता के लिए जागरूकता कार्यक्रम, विचार-विमर्श, चर्चा, कार्यशालाएं और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां चलाना;
- ❖ भारत के स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों, उच्च पेशेवर लेखा निकायों और अन्य संस्थाओं के साथ बातचीत और सहयोग करना तथा समिति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करना;
- ❖ विभिन्न शिक्षा, करियर परामर्श और जॉब मेलों का आयोजन करना और उनमें भाग लेना;
- ❖ रुचि के विषयों पर स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित करना;
- ❖ समिति और परिषद के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार कोई अन्य गतिविधि करना

✓ उन्नत समीक्षा बोर्ड (क्यू आर बी)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इसकी चार बैठकें हुई थी।

✓ कर अनुसंधान विभाग

- बजट सेमिनार, 2024
- जी एस टी दिवस की 7वीं वर्षगांठ मनाना
- प्रश्नोत्तरी
- कर बुलेटिन
- कार्यशालाएं
- वेबिनार
- सरकार का प्रतिनिधित्व
- कराधान हेल्प डेस्क
- कराधान पाठ्यक्रम

अप्रत्यक्ष कराधान

- जी एस टी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- जी एस टी पर उन्नत प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए जी एस टी पाठ्यक्रम
- जी एस टी लेखा परीक्षा और आकलन पर उन्नत पाठ्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

प्रत्यक्ष कराधान

- टी डी एस प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- आयकर विवरणी दाखिल करने पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- आयकर अपील और आकलन पर उन्नत पाठ्यक्रम
- कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए आयकर पाठ्यक्रम

✓ कैट निदेशालय

गतिविधियां :

- ❖ सेवानिवृत्त हो रहे/ सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों के लिए कैट पाठ्यक्रम
- ❖ एन सी वी ई टी मान्यता
- ❖ करियर परामर्श
- ❖ नया आर ओ सी सी
- ❖ परीक्षा
- ❖ ऑनलाइन कक्षाएं

✓ पी आर

- ❖ सरकार के मंत्रालयों और विभागों को संस्थान का अनुरोध और इस पर अनुवर्ती कार्रवाई
- ❖ मीडिया प्रबंधन
- ❖ संस्थान की ओर से मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों के रूप में संस्थान के कार्यक्रमों के लिए वी वी आई पी को आमंत्रित करना।
- ❖ सामान्य

✓ एम एस एम ई और स्टार्ट अप संवर्धन बोर्ड

एम एस एम ई स्टार्ट अप संवर्धन बोर्ड के निम्नलिखित दो प्रकाशन गुजरात में 61वें राष्ट्रीय लागत प्रबंधन लेखापाल सम्मेलन में जारी किए गए।

(क) एम एस एम ई योजना पर संकलन

(ख) एम एस एम ई के लिए उद्यम निष्पादन और जोखिम प्रबंधन

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य मत

हमने द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया ('इंस्टीट्यूट') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के एक सार एवं अन्य विवरणात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं (इसके बाद इसे 'वित्तीय विवरण' के रूप में कहा गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य मत खंड के लिए आधार में दिए गए मामलों के प्रभावों को छोड़कर, लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार, पूर्ण रूप से तैयार किए गए संलग्न वित्तीय विवरणों, दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार इंस्टीट्यूट की वित्तीय स्थिति, उसके वित्तीय कार्य निष्पादन और तत्समय समाप्त वर्ष के लिए उसके नकद प्रवाह के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार एक सही और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

योग्य मत के लिए आधार

1. इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों को कोलकाता मुख्यालय, नई दिल्ली कार्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों और एक सौ सात चैप्टरों पर विचार करते हुए तैयार किया गया है। जिसमें से एक क्षेत्रीय परिषद, नामतः जबलपुर के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

नौ चैप्टरों के वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों में समेकन के लिए उपलब्ध नहीं है।

2. क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के चालू खातों के अंतर्गत वर्गीकृत 2,29,43,332/- करोड़ रु. (विगत वर्ष 32,18,52,550/- करोड़ रु. का बिना मिलान किया गया निवल जमा शेष है।

3. पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ई आई आर सी) के संबंध में :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ई आई आर सी क्षेत्रीय परिषद की बहियों में भारतीय स्टेट बैंक को किराए पर दिए गए परिसर के हिस्से के संबंध में 19,20,000/- रु. तक आय कम बताई गई है (कुल 49,60,000/- रु. - सितंबर, 2021 से मार्च 2024 तक)।

4. उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एन आई आर सी) के संबंध में :

i) भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन और समूह योजना विभाग से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, परिषद ने 56,84,605/- रु. की धनराशि खाता बहियों में ग्रेच्युटी के देयता के रूप में प्रदान की है। इसके अलावा, 6 कर्मचारियों के लिए मूल्यांकन कर लिया गया है और जबकि संगठन में 7 कर्मचारी हैं।

- ii) परिषद ने मात्रात्मक ब्यौरों और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूरा विवरण दर्शाते हुए रिकार्ड का समुचित रख-रखाव नहीं किया है। वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। तथापि, प्रबंधन अचल संपत्तियों का रजिस्टर तैयार कर रहा है और अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर रहा है।

उपरोक्त योग्यताओं के वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों (एस ए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारी आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षणों की जिम्मेदारी में विनिर्दिष्ट की गई है। हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार इंस्टीट्यूट के स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित है और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं।

हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और हमारी योग्य राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

मामले का बल

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं : —

क) मुख्यालय के संबंध में :

1. लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 2(अ), जो यह दर्शाती है कि 4,99,78,350/- रु. की राशि सी डब्ल्यू आई पी के संबंध में मुख्यालय के खातों में पड़ी है, जिसके संबंध में विगत 6 वर्षों के दौरान आगे कोई कार्य नहीं किया गया है/ आरंभ किया गया है। ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

विवरण	धनराशि (रु.)	टिप्पणी
नवी मुम्बई उत्कृष्टता केन्द्र	4,99,78,350	ठेकेदार को भुगतान की गई अंतिम राशि दिनांक 13 जुलाई, 2016 को 5,66,334/- रुपए थी और 17 अगस्त, 2016 को 22,400/- रुपए थी। तथापि, कॉमर्सियल आर्बिट्रेशन याचिका सं. 2021 की 613 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष वाद लंबित है।
कुल	4,99,78,350	

ख) पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ई आई आर सी) के संबंध में :

- i) लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 3(ग), जो 4,14,918/- रु. का टी डी एस प्राप्य शेष के संबंध में है, दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार प्रतीत हो रहा है, जिसका भौतिक टी डी एस प्रमाण पत्रों और आयकर पोर्टल के संस्थान के नाम में विभाग में वास्तविक जमा के संदर्भ में मिलान किए जाने की जरूरत है।

- ii) लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 3(घ), जो 10,00,000/- रु. की राशि का अग्रिम भुगतान दिनांक 22.11.2023 को भुवनेश्वर चैप्टर को 43वीं आर सी सी के प्रारंभिक व्यय के लिए किए जाने के संबंध में है, दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार असमायोजित है।
- ग) पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यू आई आर सी) के संबंध में:
लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 4 (क), जो यह दर्शाती है कि 67,30,000/- रु. के प्राप्य दावे पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद की खाता बहियों में प्रतीत हो रहे हैं।
- घ) उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एन आई आर सी) के संबंध में :
- i) लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 5(क) (iii), जो 1,45,710/- रु. की राशि टी डी एस ट्रेस की लंबित मांगों के संबंध में है, लंबे समय से लंबित है, लेकिन बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि परिषद का विचार है कि सुधार होने के बाद मांग खारिज हो जाएगी।
- ii) लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 5(क) (iv), जो 1,67,690/- रु. की प्रतिभूति जमा देने और कर्मचारियों को 15,488/- रु. की राशि अग्रिम देने के संबंध में है, जिसे संदिग्ध माना गया है, लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि परिषद का विचार है कि वे उसकी वसूली कर लेंगे।
- ङ) पक्षकारों से व्यापार प्राप्य, व्यापार भुगतान, ऋण और अग्रिम आदि के संबंध में अंत की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

इंस्टीट्यूट का प्रबंधन, लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और इन्हें पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करने तथा प्रबंधन जैसे आवश्यक समझे, वैसे आंतरिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, ताकि ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार किया जा सके, जो गलत बयानों से मुक्त हो, चाहे वे धोखाधड़ी से अथवा चूक से किए गए हों।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने में इंस्टीट्यूट की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी संस्था से संबंधित मामलों को यथा लागू प्रकट करने तथा लाभकारी संस्था का लेखांकन के आधार पर तब तक उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन इंस्टीट्यूट का परिसमापन करने अथवा उसका प्रचालन बंद करने का इच्छुक न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य तर्कसंगत विकल्प न हो।

प्रबंधन इंस्टीट्यूट की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया को देखने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात के लिए तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत बयानी से युक्त हैं तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हैं और लेखा परीक्षक की ऐसी रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन ऐसा उच्चस्तरीय आश्वासन हैं लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा यदि कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी मौजूद हो तो उसका हमेशा पता लगा लेती है। गलत बयानी, धोखाधड़ी अथवा चूक से हो सकती है और वह महत्वपूर्ण समझी जाती है, यदि अलग अलग अथवा समग्र रूप से वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी तर्कसंगत संभावना हो सकती है।

लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय प्रदान करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाकर रखते हैं। साथ ही, हम :

1. वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण से हों, ऐसे जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रतिक्रियाओं का निष्पादन करते हैं और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, जो धोखाधड़ी से है, चूक के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से भी अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
2. लेखा परीक्षा प्रक्रिया करने के लिए जानकारी प्राप्त करना जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन इंस्टीट्यूट के आंतरिक नियंत्रण की वैसी प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं हो।
3. प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और लेखांकन अनुमानों का तर्कसंगत होना और प्रबंधन द्वारा किए गए संगत प्रकटीकरण करना।
4. प्रबंधन द्वारा लाभकारी संस्था का लेखांकन के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य के आधार पर समुचित उपयोग करने के संबंध में यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी परिस्थितियों अथवा स्थितियों के संबंध में अनिश्चितता मौजूद है, जिससे एक लाभकारी संस्था के रूप में इंस्टीट्यूट द्वारा कार्य करना जारी रखने की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक पर्याप्त अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संगत प्रकटीकरणों के लिए हमारी लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना अपेक्षित होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भविष्य की परिस्थितियां अथवा स्थितियां इंस्टीट्यूट को लाभकारी संस्था के रूप में जारी न रखने के कारण हो सकती हैं।
5. समग्र प्रस्तुति, संरचना और वित्तीय विवरणों के अंश का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण शामिल है और क्या वित्तीय विवरणों में विशिष्ट लेन देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वह उचित प्रस्तुति है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतबयानी की मात्रा है, जिससे व्यक्तिगत रूप से अथवा सम्मिलित रूप से, इस बात की संभावना है कि वित्तीय विवरणों के एक तर्कसंगत जानकार प्रयोक्ता का आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम निम्नलिखित में भौतिकता और गुणता के कारक पर विचार करते हैं :-

- i) हमारी लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और
- ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचाने गए मिथ्या विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।

हम शासन से जुड़े अन्य मामलों के बीच लेखा परीक्षा की योजना के दायरे और लेखा परीक्षा के कार्यक्रम और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में ऐसी महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है।

अन्य मामले

- 1 (क) हमने चार क्षेत्रीय परिषदों तथा एक सौ छः चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की थी जिनके वित्तीय विवरणों में 2,43,67,04,251/- रु. की कुल परिसंपत्तियां और वित्तीय विवरणों के अनुसार 50,52,08,961/- रु. का कुल राजस्व दर्शाया गया है। इन क्षेत्रीय परिषदों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, संबंधित क्षेत्रीय परिषदों द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और इन अधिकांश चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 के विनियम 133 के अनुसार और इंस्टीट्यूट, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, के चैप्टर उप नियमों के क्लॉज 26 के अनुसार चैप्टरों के शासी निकायों द्वारा नियुक्त लागत लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटन के संबंध में है और हमारी राय, जहां तक इन उपरोक्त परिषदों और चैप्टरों के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटन के संबंध में है, क्रमशः अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाकारों की रिपोर्ट पर ही आधारित है।
- (ख) एक चैप्टर अर्थात् जबलपुर के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं हुई है, और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं तथा वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस उपरोक्त क्षेत्रीय परिषद और चैप्टर के संबंध में शामिल की गई धनराशि और प्रकटन के संबंध में है, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित ऐसे अलेखादरी वित्तीय विवरण पर ही आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, इंस्टीट्यूट के समग्र वित्तीय विवरणों के प्रसंग में महत्वपूर्ण नहीं है।
- (ग) इंस्टीट्यूट के इस वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में नौ चैप्टरों के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी ओर से कोई भी वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।
- (घ) इंस्टीट्यूट के वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों में सतानवे चैप्टर शामिल हैं, जिनकी लेखा परीक्षा लागत लेखाकारों द्वारा की गई थी और नौ चैप्टरों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी।

उपरोक्त वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाओं, जैसा भी मामला हो, की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के संबंध में उपरोक्त मामलों पर संशोधित नहीं की गई है।

2. इंस्टीट्यूट की अचल परिसंपत्तियों का रजिस्टर अद्यतन किया जा रहा है।
3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई 36,35,000/- रु. की राशि "ऋण और अग्रिम" शीर्ष के अंतर्गत "पुणे भवन के लिए अग्रिम" के रूप में अभी भी पड़ी हुई है और इसे "पूजीगत अनुदान" के रूप में नहीं माना जा रहा है।
4. 1,41,157/- रु. की राशि के भुगतान के लिए श्रम उपकर खाता बहियों में पड़ी हुई है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, इसे सरकारी प्रक्रिया के कारण विलंब के चलते भुगतान नहीं किया गया है।
5. क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के लिए चालू देयताओं के कारण किए गए अतिरिक्त प्रावधान के लिए 15,56,53,261/- रु. की राशि वापस कर दी गई है, जिसे आय और व्यय खाते में सूचित किए गए पूर्व अवधि समायोजन (निवल) में शामिल किया गया है।
6. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1,68,45,233/- रु. का जी एस टी इनपुट अप्रयुक्त पड़ा है, जिसे आय और व्यय खाते में डाल दिया गया है।
7. बंगलौर चैप्टर के संबंध में
 - i) आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रथम अर्ध वर्ष 2023-24) की समीक्षा पर और मुख्यालय से दिनांक 6 अप्रैल, 2023 को प्राप्त ईमेल के आधार पर जिसमें यह कहा गया है कि "इंस्टीट्यूट के बंगलौर चैप्टर में कार्मिकों की भर्ती/ नियुक्ति, जो इंस्टीट्यूट के मुख्यालय के संबंधित प्राधिकारियों की सहमति या अनुमोदन के बिना हुई थी, तत्कालीन प्रभाव से निरस्त की जाती है। उनके सेवा टेन्योर के दौरान उनके द्वारा आहरित वेतन एवं अन्य लाभ भुगतानकर्ता प्राधिकारियों से वसूले जाएंगे।" इस संबंध में, चैप्टर के प्रबंधन ने संबंधित संविदात्मक कर्मचारियों को बरखास्त करने की कार्यवाही की है। इसके अलावा, चैप्टर के प्रबंधन ने मुख्यालय को पत्र लिखा था, जिसमें 'भुगतान प्राधिकारियों' के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था ताकि उनसे धनराशि की वसूली की जा सके और साथ ही, मुख्यालय से बंगलौर चैप्टर की बहियों में उपरोक्त प्राप्तियों के लेखांकन निष्पादन को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, जिसके लिए उत्तर प्रतीक्षित है। उन संविदात्मक कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक उनकी सेवा अवधि के दौरान भुगतान किए गए वेतन और अन्य लोगों को आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

अन्य नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि : -

- क. यहां उपरोक्त योग्य राय पैरा के लिए आधार में विनिर्दिष्ट मामलों के प्रभावों के अलावा, हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।
- ख. योग्य राय पैरा के लिए यहां ऊपर आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों के अलावा, हमारी राय में लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा बहियों को इंस्टीट्यूट द्वारा रखा गया है, जो उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से पर्याप्त रिटर्न 'अन्य मामलों' के पैरा 1 के साथ पठित ऐसे क्षेत्रों और चैप्टरों से प्राप्त हुए हैं।
- ग. इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट की संबंधित क्षेत्रों और चैप्टरों के अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जो हमें प्राप्त हुई हैं, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में समुचित विचार किया गया था।
- घ. इंस्टीट्यूट का तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह का विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, लेखा बहियों के अनुसार है।

कृते के जी आर एस एंड कं.
चाटर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण सं. 310014ई)

(अंशु अग्रवाल)

भागीदार

सदस्य सं. 308581

(यू डी आई एन : 24308581बीकेएफओएफपी3756)

स्थान : कोलकता

दिनांक : 21 जुलाई, 2024

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र				
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार रु.	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
			रु.	रु.
	निधियों के स्रोत			
	इंस्टीट्यूट निधि :			
4,233,909,019	सामान्य निधि	(1)		4,900,868,551
2,239,482	कर्मचारी उपदान निधि	(2)		2,242,028
12,880,698	विविध पुरस्कार निधि	(3)		13,325,226
50,541,678	अन्य निधि	(4)		19,342,262
778,431,364	वर्तमान देयताएं	(5)		444,928,588
17,256,939	प्रावधान	(6)		15,590,847
5,095,259,180	कुल			5,396,297,502
	निधियों का उपयोग			
	गैर-चालू परिसंपत्तियां			
618,781,092	क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	(7)	699,110,042	699,110,042
698,180	ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	(7)	446,370	446,370
151,849,719	पूँजीगत कार्य प्रगति पर			88,089,199
111,151,147	निवेश	(8)		111,151,147
	चालू परिसंपत्तियां			
7,568,481	वस्तु सूचियां	(9)	9,252,542	
175,529,378	व्यापार प्राप्य राशियां	(10)	233,444,286	
3,977,417,448	नकदी और नकदी समतुल्य	(11)	4,189,698,434	
52,263,735	ऋण और अग्रिम राशियां	(12)	65,105,481	
				4,497,500,743
4,212,779,042				
5,095,259,180	कुल			5,396,297,502
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियां	(20)		
संलग्न टिप्पणियां 1 – 20 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं				

यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है।

कृते केजीआरएस एंड कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण सं. : 310014ई

सीएमए सोमा बनर्जी
अपर निदेशक – वित्त

सीएमए डॉ. कौशिक बनर्जी
सचिव

अंशु अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता सं. : 308581

सीएमए बिभूति भूषण नायक
उपाध्यक्ष

सीएमए अश्विन जी. दलवाडी
अध्यक्ष

स्थान : कोलकता दिनांक : 21 जुलाई, 2024

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण			
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.	आय :		रु.
51,859,340	सदस्यता एवं अन्य शुल्क	(13)	55,345,089
1,235,176,071	शिक्षण एवं अन्य शुल्क	(14)	1,304,622,758
308,685,692	परीक्षा एवं अन्य शुल्क	(15)	341,082,187
25,774,494	सी पी डी एवं अन्य कार्यक्रम शुल्क		25,652,453
481,948	विज्ञापन सहित पत्रिका का अंशदान		467,702
220,908	प्रकाशन की बिक्री		820,546
184,136,391	ब्याज		259,317,463
13,984,942	अन्य आय		10,315,948
1,820,319,785	कुल:		1,997,624,146
	व्यय :		
369,515,306	स्थापना व्यय	(16)	383,233,281
158,141,238	कार्यालय व्यय	(17)	198,581,521
2,135,149	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क		2,391,310
16,838,417	यात्रा एवं वाहन		14,419,768
301,940,529	परीक्षा व्यय	(18)	239,833,167
42,903,223	परिषद एवं समिति की बैठकों का व्यय		36,960,095
21,646	ट्रिब्यूनल सहित चुनाव का खर्च		20,192,488
11,361,041	पत्रिका व्यय		19,992,191
11,796,583	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		11,874,750
6,833,009	सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकें		4,212,601
40,857,065	सी. पी. डी. तकनीकी कौशल विकास एवं अन्य कार्यक्रम व्यय	(19)	44,254,997
14,967,624	व्यावसायिक विकास व्यय		12,040,446
390,935,780	कोचिंग व्यय		340,995,397
47,221,667	अध्ययन सामग्रियों एवं विवरणी की खपत		73,218,780
557,579	प्रकाशन स्टॉक की खपत		2,907,718
855,855	वस्तु सुधियां और अशोध्य ऋण बट्टे खाता		4,474,977
16,636,602	एम बी एफ में भागीदारी और गंभीर बीमारियां		13,327,552
47,742,768	मूल्यहास और परिशोधन		50,341,405
1,481,261,080	कुल		1,473,252,444
339,058,704	व्यय से अधिक आय होने के कारण शेष राशि		524,371,702
5,869,896	अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	(19क)	(135,754,171)
333,188,808	सरप्लस शेष रहने पर सामान्य निधि में अंतरित		660,125,873
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियां	(20)	
संलग्न टिप्पणियां 1 – 20 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं			
<p>यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित आय और व्यय का विवरण है। कृते केजीआरएस एंड कं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. : 310014ई</p> <p>सीएमए सोमा बनर्जी अपर निदेशक – वित्त</p> <p>सीएमए डॉ. कौशिक बनर्जी सचिव</p> <p>अंशु अग्रवाल भागीदार सदस्यता सं. : 308581</p> <p>सीएमए विमूति भूषण नायक उपाध्यक्ष</p> <p>सीएमए अश्विन जी दलवाडी अध्यक्ष</p> <p>स्थान : कोलकता दिनांक : 21 जुलाई, 2024</p>			

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.	रु.
	क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
333,188,808	कराधान से पूर्व अधिशेष एवं असाधारण मद	660,125,873	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:-		
47,742,768	मूल्यहास और परिशोधन	50,341,405	
380,931,576	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन अधिशेष	710,467,278	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के लिए समायोजन		
117,096,755	चालू देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	(335,168,869)	
(30,422,714)	चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(72,440,716)	
86,674,041		(407,609,585)	
467,605,617	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क)		302,857,693
	ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
(70,201,433)	सी डब्ल्यू आई पी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में परिवर्तन निवेश में कमी	(16,316,620)	
(70,201,433)	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी (ख)		(16,316,620)
	ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
(43,483,451)	निधि शेष में परिवर्तन	(74,260,088)	
(43,483,451)	वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी (ग)		(74,260,088)
353,920,733	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		212,280,985
3,623,496,715	जाड़ें - अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		3,977,417,448
3,977,417,448	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		4,189,698,434
	टिपपणियां:-		
	i. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण, 'नकदी प्रवाह विवरण' के संबंध में लेखांकन मानक ए एस - 3 में यथानिर्धारित 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के तहत तैयार किया गया है।		
	ii. नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल है :		
1,204,785	हाथ में नकदी	941,070	
200,681,972	बैंक में शेष : चालू खाता	245,795,614	
92,197,894	बैंक में शेष : बचत खाता	88,808,664	
3,683,332,798	सावधि जमा	3,854,153,087	
3,977,417,448		4,189,698,434	

यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है।

कृते केजीआरएस एंड कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण सं. : 310014ई

सीएमए सोमा बनर्जी
अपर निदेशक - वित्त

सीएमए डॉ. कोशिक बनर्जी
सचिव

अंशु अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता सं. : 308581

सीएमए बिभूति भूषण नायक
उपाध्यक्ष

सीएमए अश्विन जी. दलवाडी
अध्यक्ष

स्थान : कोलकता

दिनांक : 21 जुलाई, 2024

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी) टिप्पणी सं. 1 : सामान्य निधि		
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार रु.	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार रु.
3,898,048,503	विगत लेखाओं के अनुसार शेष	4,233,909,019
	जोड़े :	
	i) चैप्टर के भवन का पूंजीकरण	73,320,604
	ii) पूंजी हस्तांतरण – विध्यनगर चैप्टर	4,243,819
3,898,048,503		4,311,473,442
3,898,048,503		4,311,473,442
	घटाएं – चैप्टर के भवन निर्माण के लिए समायोजन	73,320,604
2,671,708	जोड़े : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	2,589,840
3,900,720,211		4,240,742,678
333,188,808	जोड़े : संलग्न आय और व्यय विवरण के अनुसार वर्ष के लिए अधिशेष	660,125,873
4,233,909,019		4,900,868,551

टिप्पणी सं. 2 :
कर्मचारी उपदान निधि

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार रु.	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार रु.
1,296,391	विगत लेखा के अनुसार शेष	2,239,482
129,573	जोड़े : वर्ष के लिए अंशदान	(38,942)
1,425,964		2,200,540
622,391	जोड़े : वर्ष के लिए निधि की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	41,488
(191,127)	घटाएं : वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी निधि में अंतरित	-
2,239,482		2,242,028

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी) टिप्पणी सं. 3 : विविध पुरस्कार निधि		
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार रु.	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार रु.
12,419,397	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	12,880,698
43,833	जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	228,121
568,023	जोड़े : वर्ष के दौरान हुई आय	405,438
(150,555)	घटाएं : पुरस्कार की लागत	(189,031)
12,880,698		13,325,226
टिप्पणी सं. 4 : अन्य निधि		
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार रु.	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार रु.
4,198,087	भवन निधि	2,213,979
4,497,251	पुस्तकालय निधि	4,577,251
41,846,340	विविध निधि	12,551,032
50,541,678		19,342,262

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 5 :

वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
1,151,900	लाइब्रेरी जमा	1,172,900
278,321,933	व्यापार प्राप्य राशि	173,194,354
321,852,550	क्षेत्रीय परिषदों एवं चैप्टरों के पास चालू खाता	22,943,332
155,588,257	अन्य देनदारियां	221,457,656
12,564,269	सदस्यों की हितकारी निधि को भुगतान	12,720,169
8,952,455	टी डी एस भुगतान	13,440,177
778,431,364		444,928,588

टिप्पणी सं. 6 :

प्रावधान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
17,256,939	प्रावधान	15,590,847
17,256,939	कुल	15,590,847

परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	को प्रारंभिक लागत 01.04.2023	अवधि के दौरान वृद्धि	घटाएँ अवधि के दौरान की बिक्री / समायोजन	31.03.2024 की कुल स्थिति	01.04.2023 तक	वर्ष के लिए	जोड़े/ घटाएँ वर्ष के दौरान मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2024 तक	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.
क. परिसमपत्ति, संयंत्र और उपस्कर										
क्रीहोल्ड भूमि	198,565,488	10,889,941		209,455,429	-	-		-	209,455,429	198,565,488
लीज होल्ड भूमि	64,431,251			64,431,251	11,350,070	832,057		12,182,127	52,249,124	53,081,181
क्रीहोल्ड भवन	729,382,767	81,799,771	(393,174)	810,789,364	450,289,342	31,900,594	474,793	482,664,729	328,124,635	279,093,425
फर्नीचर और फिटिम्स	93,819,634	11,179,880	(124,441)	104,875,073	55,208,810	4,624,038	(3,384,977)	56,447,871	48,427,202	38,610,824
पुस्तकालय की पुस्तकें	12,783,236	282,113		13,065,349	12,263,052	380,199	(229,808)	12,413,443	651,906	520,184
कार्यालय उपस्कर	106,774,089	7,818,149	(97,674)	114,494,564	74,268,529	5,747,558	(2,670,944)	77,345,143	37,149,421	32,505,560
जेनरेटर	16,148,773	684,311		16,833,084	12,105,524	684,016	(26,751)	12,762,789	4,070,295	4,043,249
लिफ्ट	14,168,449	3,082,882		17,251,331	10,639,546	884,517		11,524,063	5,727,268	3,528,903
मोटर कार	2,934,582	1,202,510		4,137,092	645,631	583,845		1,229,476	2,907,616	2,288,951
कंप्यूटर	70,472,144	4,646,787	(1,049)	75,117,882	63,928,816	4,424,183	(3,582,264)	64,770,736	10,347,146	6,543,328
साइकिल	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
कुल क	1,309,488,781	121,586,344	(616,338)	1,430,458,787	690,707,689	50,061,007	(9,419,951)	731,348,745	699,110,042	618,781,092
ख. अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
सॉफ्टवेयर	42,425,760	14,514	(33,198)	42,407,076	41,727,580	280,398	(47,272)	41,960,706	446,370	698,180
कुल ख	42,425,760	14,514	(33,198)	42,407,076	41,727,580	280,398	(47,272)	41,960,706	446,370	698,180
सकल योग	1,351,914,541	121,600,858	(649,536)	1,472,865,863	732,435,269	50,341,405	(9,467,223)	773,309,451	699,556,412	619,479,272
विगत वर्ष	1,325,515,909	26,573,207	(174,575)	1,351,914,541	686,036,348	47,742,768	(1,343,847)	732,435,269	639,479,561	
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	151,849,719		(63,760,520)	88,089,199				88,089,199	151,849,719	

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 8 :

गैर-उद्धृत निवेश (लागत पर)

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार रु.	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार रु.
	सहकारी न्यास के शेयर :	
500	10 रु. प्रत्येक के 50 शेयर (विगत वर्ष 50 शेयर) रोहित चैम्बर प्रेमिसेस को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई (पूर्व में जय बृंदावन प्रीमिसिस ट्रस्ट फंड, बाम्बे के रूप में वर्णित)	500
110,000,000	आई सी ए आई की दिवालिया व्यवसायिक एजेंसी में निवेश (10 रु. प्रत्येक के प्रदत्त शेयर की संख्या 1,10,00,000)	110,000,000
1,100,000	आई सी एम ए : पंजीकृत मूल्यांकक संगठन में 1,10,000 (विगत वर्ष 1,10,000) निवेश	1,100,000
50,647	- अन्य	50,647
111,151,147		111,151,147

टिप्पणी सं. 9 :

वस्तुसूचियां

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार रु.	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार रु.
2,657,387	- प्रकाशन स्टॉक	2,443,686
3,056,760	- विवरणिका स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री	5,150,411
1,854,334	- अन्य सामग्री का स्टॉक	1,658,445
7,568,481		9,252,542

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 10 :

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

(अप्रत्याभूत अच्छी मानी गई)

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
		रु	रु
रु			
26,049,317	व्यापार प्राप्य राशि		30,447,801
149,480,061	अन्य प्राप्य राशि		202,996,485
175,529,378			233,444,286

टिप्पणी सं. 11 :

नकदी और नकदी समतुल्य

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
		रु	रु
रु			
	नकदी और नकदी समतुल्य :		
1,204,785	नकदी हाथ में		941,070
	अनुसूचित बैंकों के पास शेष :		
200,681,972	चालू खाते में		245,795,614
92,197,894	बचत खाते में		88,808,664
3,683,332,798	बैंकों के पास सावधि जमा :		3,854,153,087
3,977,417,448			4,189,698,434

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. **12** :

ऋण और अग्रिम राशियां

(अप्रतिभूतित, अच्छी मानी गई)

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार रु	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार रु
18,242,591	अन्य अग्रिम राशियां	25,209,147
629,225	कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम	560,261
21,364,841	टी डी एस प्राप्य राशि	22,824,667
1,424,264	पूर्व प्रदत्त खर्च	11,272,900
10,602,814	जमा	5,238,506
52,263,735		65,105,481

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी) टिप्पणी सं.13 : सदस्यता और अन्य शुल्क :		
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
40,944,868	वार्षिक सदस्यता शुल्क	39,849,596
9,046,075	सदस्यों का पेशेवर प्रमाण पत्र शुल्क	9,053,240
-	प्रमाणित सुविधा केन्द्र शुल्क	4,212,400
672,934	सदस्यों की शिकायत / बहाली शुल्क / नामांकन शुल्क	917,130
-	नामांकन शुल्क	519,050
1,159,150	सदस्यता और प्रमाण पत्र शुल्क – आई एम ए (यू एस ए)	635,273
36,313	बेहतर स्थिति का प्रमाण पत्र	158,400
51,859,340		55,345,089
टिप्पणी सं.14 : शिक्षण और अन्य शुल्क :		
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
36,324,900	छात्र पंजीकरण शुल्क	23,330,224
5,605,500	व्यावहारिक प्रशिक्षण पंजीकरण शुल्क	12,660,000
7,253,300	व्यावहारिक प्रशिक्षण/ विषय छूट शुल्क	9,015,500
1,119,336,310	शिक्षण शुल्क	1,172,483,882
52,595,256	कैट कोर्स आय	63,638,312
4,892,200	कोचिंग पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र का पुनः वैधीकरण शुल्क	3,403,149
5,440,671	विवरणिका की बिक्री	2,384,043
3,727,934	अध्ययन नोट्स की बिक्री	17,707,648
1,235,176,071		1,304,622,758

टिप्पणी सं.15 : परीक्षा और अन्य शुल्क :		
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
302,528,692	परीक्षा शुल्क	333,644,279
6,157,000	उत्तर पत्रों की जांच के लिए शुल्क	7,437,908
308,685,692		341,082,187

इस्टीमेट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया		
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)		
टिप्पणी सं.16 :		
स्थापना व्यय		
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
रु		रु
300,503,987	वेतन और भत्ते	317,093,684
13,437,010	कर्मचारी ग्रेज्युटी फंड के लिए नियोक्ता का अंशदान	9,861,775
26,286,122	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	28,156,708
46,075	कर्मचारी हितकारी निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	11,674
15,043,620	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के लिए नियोक्ता का अंशदान	11,138,425
898,378	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण—विद्यमान	2,615,582
8,432,367	चिकित्सा व्यय	8,907,614
2,863,485	कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता	3,021,144
1,437,228	आर पी एफ सी प्रशासन और ई डी एल आई निरीक्षण प्रभार	1,579,879
567,034	प्रशिक्षण और विकास (एच आर डी)	846,796
369,515,306		383,233,281

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं.17 :
कार्यालय व्यय

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
रु		रु.
8,203,332	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	7,317,924
7,967,164	डाक, तार, दूरभाष और फैंक्स	9,837,384
1,880,720	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1,895,300
10,523,080	विद्युत प्रभार	13,201,224
280,487	जनरेटर व्यय	307,518
10,323,935	दरें और कर	3,260,076
451,108	बीमा	352,016
11,311,762	मरम्मत और रख-रखाव	10,747,121
1,357,064	कार व्यय	1,454,718
7,820	जमानती जमा राशि पर ब्याज	7,820
8,780,220	विधिक प्रभार	5,864,645
735,187	बैंक प्रभार	861,575
6,669,924	कंप्यूटर रखरखाव व्यय	6,868,394
2,512,558	जन संपर्क व्यय	4,477,108
3,644,220	देखरेख संबंधी व्यय	3,994,408
566,718	पुस्तक एवं पत्रिकाएं	520,003
234,069	प्रतिनिधि शुल्क	236,550
234,000	राजपत्र अधिसूचना	289,630
1,999,517	कर्मचारी कल्याण	3,602,231
7,383,947	किराया	9,168,657
65,683,430	प्रशासनिक प्रभार	104,452,397
7,390,977	विविध व्यय	9,864,821
158,141,238		198,581,521

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)		
टिप्पणी सं.18 : परीक्षा व्यय		
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
₹		₹
192,392,183	परीक्षा व्यय	91,892,216
78,244,190	परीक्षक का पारिश्रमिक	85,899,927
29,944,026	परीक्षा केन्द्र व्यय	60,537,005
126,887	मौखिक कोचिंग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा व्यय	14,250
1,233,243	पुरस्कार एवं प्रस्कार वितरण व्यय	1,489,769
301,940,529		239,833,167
टिप्पणी सं.19 : सी पी डी कार्यक्रम व्यय एवं तकनीकी कौशल		
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
₹		₹
10,294,371	सीपीडी व्यय	10,861,046
56,827	सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कार सहित राष्ट्रीय पुरस्कार	99,308
9,080,516	क्षेत्रीय लागत/राष्ट्रीय सम्मेलन व्यय	5,790,327
17,651,068	सीपीडी व्यय- आरसी/चैप्टर	24,184,386
3,774,283	तकनीकी कौशल विकास	3,319,930
40,857,065		44,254,997

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
 वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)
 टिप्पणी सं.- 20

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरणों को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 के यथासंशोधित संगत प्रावधानों और जब तक अन्यथा न कहा गया हो, उपार्जन आधार पर लाभकारी संस्था के रूप में ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किया जाता है।

समेकन का आधार

मुख्यालय (कोलकता), नई दिल्ली कार्यालय, इसकी क्षेत्रीय परिषदों तथा चैप्टरों के वित्तीय विवरणों को समस्त प्रमुख इन्ट्रा-ग्रुप शेष, इन्ट्रा-ग्रुप लेन-देनों और परिणामी अप्राप्त सरप्लस/ (घाटे) को निकालकर परिसंपत्तियों और देयताओं की समान मदों को पूर्ण रूप से शामिल करके समेकित किया गया है। अपेक्षानुसार आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वर्ष के लिए सूचित की गई परिसंपत्तियों और देयताओं तथा सूचित की गई आय और व्यय की राशि में आकलन और अनुमान करने अपेक्षित होते हैं। प्रबंधन का यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और तर्कसंगत होते हैं। जिन अवधियों में परिणाम की जानकारी मिलती है/ कार्यान्वित किए जाते हैं, उस अवधि में वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अनुमान और अंतर से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

राजस्व मान्यता

(क) सदस्यों से प्रवेश शुल्क

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क को सामान्य निधि में जमा किया गया है।

(ख) छात्र पंजीकरण शुल्क

छात्रों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क को छात्र का पंजीकरण होने और भुगतान प्राप्त होने पर राजस्व आय के रूप में मान्य किया गया है।

(ग) वार्षिक सदस्यता शुल्क

वार्षिक सदस्यता शुल्क को उस वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष से ये संबंधित है और जब अग्रिम राशि छोड़कर, भुगतान प्राप्त हो जाता है।

(घ) शिक्षण शुल्क

छात्र का पंजीयन होने और भुगतान प्राप्त हो जाने पर पोस्टल और मौखिक शिक्षण शुल्क के संबंध में राजस्व को मान्य किया जाता है।

(ङ) प्रकाशनों की बिक्री

जब प्रकाशनों को किसी उपयोक्ता को किसी कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है, तो ऐसे प्रकाशनों की बिक्री के संबंध में राजस्व को मान्य किया जाता है।

(च) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क को ऐसी संबंधित अवधियों के लिए मान्य किया जाता है, जिस अवधि से ये संबंधित है।

(छ) कार्यक्रम शुल्क

ऐसे क्रियाकलाप करने पर कार्यक्रम शुल्क से राजस्व को मान्य किया जाता है।

(ज) ब्याज

बैंकों के पास सावधि जमाओं के संबंध में समान आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है।

(झ) निवेश आय

निवेशों से आय को, भुगतान की प्राप्ति का अधिकार प्रमाणित होने पर मान्य किया जाता है।

व्यय

व्यय को उपार्जन आधार पर मान्य किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित मामलों के अलावा पोस्टल और मौखिक कोचिंग से संबंधित व्यय शामिल हैं : -

- (i) चैप्टरों के वार्षिक अनुदानों को उनका वितरण किए जाने पर मान्य किया जाता है।
- (ii) चुनाव व्यय को उस वित्तीय वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष में यह खर्च किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को लागत में से संचित मूल्यह्रास और निवल हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है। लागत में खरीद की कीमत और कोई अन्य लागत शामिल है, जो परिसंपत्ति को इसके अपेक्षित उपयोग के लिए इसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जो लागत में से संचित परिशोधन और निवल हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है।

पूँजीगत कार्य प्रगति पर

ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया व्यय, जो उसके अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उसे 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' के तहत लागत में से हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है।

मूल्यह्रास/ परिशोधन

- (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आय कर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट मदों पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया गया है।
- (ख) लीजहोल्ड भूमि का मूल्य लीज अवधि के दौरान चुकाया जाता है। लीजहोल्ड भूमि के अधिग्रहण के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम, लीज अवधि के दौरान चुकाया जाता है। भूमि किराया, यदि कोई हो, उस वर्ष के व्यय के रूप में मान लिया गया है, जिसके लिए ये शुल्क देय हैं अथवा भुगतान योग्य हैं।
- (ग) लाइब्रेरी की पुस्तकों के लिए, जिस वर्ष में ये खरीदी गई हैं, उस वर्ष में 40 प्रतिशत पर मूल्यह्रास किया जाता है।

निवेश

दीर्घावधि निवेशों को लागत पर माना गया है। तथापि, जब दीर्घावधिक निवेशों के मूल्य में एक स्थायी गिरावट हो तो संगत राशि की गिरावट को मान्य करने के लिए कम किया गया है।

वस्तुसूची

प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री तथा पेपर स्टॉक और विवरणिका स्टॉक इत्यादि को लागत अथवा निवल वसूली मूल्य से कम पर आंका जाता है। प्रकाशन की लागत और अध्ययन सामग्रियों की लागत का निर्धारण भारत औसत आधार पर और पेपर की लागत का निर्धारण फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (एफ आई एफ ओ) के आधार पर किया जाता है।

प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) किसी प्रावधान को तब मान्य किया जाता है : —

- (क) जब विगत आयोजन के कारण वर्तमान बाध्यता हो;
- (ख) यह संभावित है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का आउटप्लो, बाध्यता को निपटाने के लिए अपेक्षित होगा; तथा
- (ग) एक विश्वसनीय अनुमान को, बाध्यता की राशि से पूरा किया जा सकता है।

(ii) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान मान्य नहीं है :—

- (क) कोई ऐसी संभव बाध्यता, जो विगत आयोजनों से उत्पन्न हुई हो और जिसकी मौजूदगी की एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी आयोजनों, जो इंस्टीट्यूट के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, के होने अथवा न होने से पुष्टि होगी;
- (ख) कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता, जो विगत इवेंट से उत्पन्न हो लेकिन मान्य नहीं की गई, क्योंकि यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों वाले संसाधनों का आउटप्लो, बाध्यता को निपटाने के लिए अपेक्षित होगा अथवा बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता।

ऐसी बाध्यताएं आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट की गई हैं। इनका आकलन नियमित अंतराल पर किया गया है और केवल बाध्यता के उस अंश का आकलन किया गया है, जिसके लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों का एक आउटप्लो केवल ऐसी अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, संभावित है, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाए जा सकते।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्य किया गया है और न ही प्रकट किया गया है।

विदेशी मुद्रा लेन देन

विदेशी मुद्रा में लेन देन, उस लेन देन को करने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया गया है। मौद्रिक मदों की सूचना तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित अंतिम दर का उपयोग करके दी जाती है। प्रारंभ में दर्ज/ सूचित मौद्रिक मदों के निपटान के संबंध में उत्पन्न विनिमय दर में अंतर को, आय/ व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में जिस अवधि में ये उत्पन्न हुए हैं, उस अवधि में आय और व्यय के विवरण में मान्य किया गया है।

कर्मचारी लाभ

i) अल्प कालिक लाभ

अल्प कालिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि के दौरान दावा किए गए व्यय के रूप में मान्य किया गया है, जिसमें दावा न की गई राशि प्रदान की गई है।

ii) रोजगार के उपरांत के लाभ

रोजगार के उपरांत के लाभ, जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण इत्यादि मुख्यालय और दिल्ली कार्यालय तथा सी ओ ई के लिए यथा लागू प्रदान किए गए हैं।

परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को संपत्ति के निहित मूल्य की क्षति के लिए समीक्षा की गई है। यदि इन परिसंपत्तियों की निहित राशि उनकी वसूलनीय राशि से अधिक होती है, तो क्षति को मान्य किया जाता है।

आय पर कर

इंस्टीट्यूट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 12क के तहत आयकर से छूट प्रदान की गई है, अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और आस्थगित कर देयता/ परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

अवधि पूर्व आय/व्यय

एक या अधिक पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में त्रुटियों अथवा चूकों के कारण वर्तमान अवधि में उत्पन्न अवधि पूर्व की मदों को आय और व्यय के विवरण में अलग से प्रकट किया गया है।

जी एस टी अप्रयुक्त शेष बढ़े खाते डालना

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार जी एस टी इनपुट क्रेडिट का शेष, जो अप्रयुक्त रहा है, आयकर खाते में डाला गया है।

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

1. समेकन का आधार

इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों को कोलकाता मुख्यालय, नई दिल्ली कार्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों और एक सौ सात चैप्टरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इनमें से एक चैप्टर अर्थात् जबलपुर के वित्तीय विवरण लेखा परीक्षित नहीं है। नौ चैप्टरों, नामतः विंध्यनगर, सिंगरौली, बोकारो स्टील सिटी, जयपुर – क्यॉंझार, जमशेदपुर, नेहाती – इच्छापुर, रायपुर, चंद्रपुरा और मुजफ्फरपुर के वित्तीय विवरणों को प्राप्त न होने के कारण इन्हें वर्तमान वर्ष में शामिल नहीं किया गया। तथापि, समेकित वित्तीय विवरणों के, वर्तमान वर्ष के आंकड़ों में इन चैप्टरों के विगत वर्ष के उपलब्ध आंकड़े शामिल हैं।

2. मुख्यालय के संबंध में

क) आकस्मिक देयता (जो प्रदान नहीं की गई)

i) वित्त अधिनियम, 1994 आर डब्ल्यू सी जी एस टी अधिनियम, 2017 के तहत, लागू ब्याज दंड 5,01,68,756/- रु. (विगत वर्ष में 5,01,68,756/- रु.) के साथ सेवा कर मांग 5,01,68,756/- रु. (विगत वर्ष में, 5,01,68,756/- रु.) है, जिसमें से 37,62,657/-रु. (विगत वर्ष में, 37,62,657/- रु.) की राशि,

जो मांग का 7.5 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान भुगतान कर दी गई है तथा "ऋण और अग्रिम" राशि के तहत 'सेवा कर जमा' के रूप में दर्शाई गई है। इंस्टीट्यूट ने मांग के खिलाफ एक अपील दायर की है जिस पर अभी निर्णय आना बाकी है।

ii) नीति के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को नीति में विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यक्षीन बिल प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाती है। नीति की शर्तों के अनुसार, अप्रयोज्य शेष राशि 4 वर्षों की अवधि के लिए संचित की जा सकती है। दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, अप्रयोज्य शेष राशि, जो कर्मचारियों के खाते में जमा है, वह 28,61,868/- (विगत वर्ष में 23,30,216/-) है।

ख) आयकर के संबंध में छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 12क के तहत प्रदान की गई है, तदनुसार आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देनदारी के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

ग) इंस्टीट्यूट द्वारा रखी गई सभी पुरस्कार राशि विभिन्न दाताओं द्वारा प्रायोजित की गई है और परिषद के निर्णय के अनुसार बैंकों में सावधि जमा में संगत निवेशों के साथ लेखों में शामिल की गई है।

घ) 190,48,46,113/- रु. (विगत वर्ष में 189,81,79,094/-) की सावधि जमा (मुख्यालय कोलकता और दिल्ली कार्यालय)

ड) अन्य अग्रिम राशि में एम सी ए, भारत सरकार द्वारा अनुमति न देने के कारण पूर्व परिषद सदास्य से बकाया 1,36,097/- रु. (विगत वर्ष 1,36,097/- रु.) शामिल हैं और वर्तमान में मामला न्यायाधीन है।

- च) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (जी एस टी सहित) 5,45,210/- रु. (विगत वर्ष 5,86,869/- रु. क्षेत्रों और चैप्टरों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्कों को छोड़कर।
- छ) "इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट" को भविष्य निधि का अंशदान प्रदान किया जाता है।
- ज) ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) के तहत ग्रेच्युटी के संबंध में देनदारी को समूह ग्रेच्युटी नीति से भारतीय जीवन बीमा निगम को दिए गए अंशदान के आधार पर मान्य किया जाता है।
- झ) अवकाश नकदीकरण के संबंध में देनदारी को एल आई सी आई के पास रखी गई अनुमोदित अवकाश नकदीकरण निधि के लिए अंशदान के आधार पर मान्य किया जाता है।
- ञ) सिडको (सी आई डी सी ओ) से लिए गए लीज होल्ड भूखंड पर बेलापुर, नवी मुंबई में नवी मुंबई उत्कृष्टता केन्द्र भवन का निर्माण वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था। वर्ष 2013 में गुजरात कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमि. को इस निर्माण के लिए निविदा दी गई थी। परिषद के निर्णय के अनुसार, भवन का निर्माण कार्य 2015 में बंद कर दिया गया था। भवन का सुपरस्ट्रक्चर, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 फ्लोर का निर्माण पूरा हो गया था।

इस निर्माण कार्य को रोक दिए जाने के कारण, गुलराज कंस्ट्रक्शन, परियोजना के ठेकेदार ने माननीय मध्यस्थ, बॉम्बे के समक्ष एक मामला दायर किया, जिसमें इंस्टीट्यूट से अपने लाभ, उपरिव्यय, वर्ष 2017-18 में परियोजना के अधिक समय के कारण लागत में वृद्धि होने संबंधी नुकसान के लिए 4,70,40,917/- रु. का दावा किया गया।

तदोपरांत, दिनांक 7 अप्रैल, 2021 को माध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 7 मई, 2021 से गुलराज कंस्ट्रक्शन को 81,48,937/- रु. + 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का

अवार्ड पारित किया। इस माध्यस्थ अवार्ड के खिलाफ इंस्टीट्यूट द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई है।

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 13 मार्च, 2024 के आदेश के तहत दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के अवार्ड पर कार्रवाई निष्पादन और कार्यान्वयन पर रोक लगाई, बशर्ते कि इंस्टीट्यूट (आवेदक/ याचिकाकर्ता) 32,28,257/- रु. की राशि का अवार्ड जमा करे और मूलधन राशि 32,28,257/- रु. पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के संबंध में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करें, जो अवार्ड की तारीख की स्थिति के अनुसार 18,83,275/- रु. है।

यह धनराशि पूरी तरह से लेखा बहियों में प्रदान कर दी गई है।

- ट) इंस्टीट्यूट ने जून और दिसंबर, 2022 अवधि की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए ए ओ एन कंसल्टिंग प्रा. लिमि. (ए ओ एन) की सेवाएं ली थी। 338वीं परीक्षा समिति ने दिनांक 14 जनवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में ए ओ एन द्वारा संतोषजनक सेवा प्रदान करने में ठेके के महत्वपूर्ण उल्लंघन को नोट किया और 13,99,40,122/- रु. (जी एस टी सहित) का भुगतान रोक दिया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, जून, 2022 परीक्षा अवधि के संबंध में ए ओ एन से 5,71,933/- रु. (जी एस टी सहित) का इनवॉयस प्राप्त हुआ था, जिससे ए ओ एन को भुगतान योग्य कुल धनराशि 14,05,12,055/- रु. (जी एस टी सहित) है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुदेशों के बाद, 41,67,730/- रु. (3.5 प्रतिशत आधार मूल्य, जिसमें 14,05,12,055/- रु. पर 18 प्रतिशत जी एस टी शामिल नहीं है, अर्थात् 11,90,78,013/- रु.) और लागू करों की कटौती के बाद ए ओ एन को 13,15,81,205/- रु. (जी एस टी सहित) की राशि का भुगतान जारी किया गया था।

ठ) इंस्टीट्यूट द्वारा टीसीएन – आईओएन को दिसंबर, 2021 अवधि की ऑनलाइन मध्यवर्ती और अंतिम परीक्षा करने के लिए अनुबंधित किया गया था। जैसा कि 334वीं परिषद द्वारा अपनी 22 जनवरी, 2022 को हुई बैठक में नोट किया गया है, जो कि 7 मार्च, 2022 को सम्पन्न हुई थी और 335वीं परीक्षा समिति ने, दिनांक 7 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में यह नोट किया कि टीसीएस – आईओएन की सेवाएं संतोषजनक नहीं थी, जिसके लिए इंस्टीट्यूट की दिसंबर, 2021 के लिए अंतिम परीक्षा में विलंब हुआ और उसके लिए पुनः कार्यक्रम बनाना पड़ा और चरणबद्ध तरीके से आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में टी सी एस से 24,22,75,900/- रु. (जी एस टी सहित) राशि का एक इनवॉयस प्राप्त हुआ था। परीक्षा विभाग से अनुमोदन के अनुसार, 50 प्रतिशत बिल राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था और शेष 50 प्रतिशत राशि 10,26,59,280/- रु. (जी एस टी छोड़कर) रोक दी गई। टीसीएस – आईओएन ने दिनांक 15 मार्च, 2023 को 12,52,44,320.80/- रु. की मांग करते हुए एक कानूनी नोटिस दिया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुदेशों के बाद, 1,23,19,114/- रु. (6 प्रतिशत आधार मूल्य, जिसमें 24,22,75,900/- रु. पर 18 प्रतिशत जी एस टी शामिल है, अर्थात् 20,53,18,560/- रु.) और लागू करों की कटौती के बाद टीसीएस – आईओएन को 10,47,12,466/- रु. (जी एस टी सहित) का भुगतान जारी किया गया था।

ड) निवेश (इंस्टीट्यूट के नाम से नहीं किए गए)

i) आई सी ए आई की इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में निवेश में 10/- रु. प्रत्येक के 6 शेयर शामिल हैं, जो इंस्टीट्यूट के नाम से नहीं हैं, लेकिन 'इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' के नामितियों के नामों से हैं।

- ii) आई सी एम ए आई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन में निवेश में 10/- रु. प्रत्येक का 1 शेयर शामिल हैं, जो इंस्टीट्यूट के नाम से नहीं है, लेकिन 'इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' के नामितियों के नामों से हैं।
- ढ) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी 36,35,000/- रु. की राशि अभी भी मुख्यालय के नाम से भूमि हस्तांतरण लंबित रहने के कारण 'ऋण एवं अग्रिम' शीर्ष के अंतर्गत 'पुणे भवन के लिए अग्रिम' के रूप में रखी है।
- ण) क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के लिए चालू देयताओं के संबंध में किए गए अधिक्य प्रावधान के लिए 15,56,53,261/- रु. की धनराशि रिवर्स की गई है, जिसे आय और व्यय लेखा में यथासूचित अवधि पूर्व समायोजन (निवल) में शामिल किया गया है।
- क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चल निर्धारित परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन किया गया था। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, क्षतिग्रस्त / पुरानी चल निर्धारित संपत्ति पाई गई, जो 2,24,109/- रु. की राशि है, और उसे खाता बहियों में बड़े खाते डाला गया है।
- ख) वर्ष 2016 के पुराने पाठ्यक्रम की पुस्तकों से संबंधित वस्तु सूची वर्ष के दौरान बड़े खाते डाली गई है, जो 35,45,363/- रु. है।
- ग) दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार इंस्टीट्यूट के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, यथासंशोधित "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के अंतर्गत यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को भुगतान के लिए कोई धनराशि और उस पर ब्याज नहीं है।

3. ई आई आर सी के संबंध में

- क.) इंस्टीट्यूट के सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार ई आई आर सी ने किराए के लिए न तो कोई इनवॉयस जारी किया और न ही सितंबर, 2021 से मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए एस बी आई से कोई राशि वसूली, जो कि 49,60,000/- रु. होती है।

- ख) आकस्मिक देयता – वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ई आई आर सी के खिलाफ कुछ अनुबंध कर्मचारियों द्वारा एक कानूनी वाद दायर किया गया है, जो अभी भी लंबित है। वर्ष के दौरान स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। मामला बंद होने और अंतिम निर्णय आने के बाद खातों में आवश्यक प्रभाव, यदि कोई हो, किया जाएगा।
- ग) टी डी एस प्राप्य खाता शेष में 4,14,918/- रु. की राशि 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार दशाई गई है। इसका वास्तविक डी टी एस प्रमाणपत्र और आयकर पोर्टल से इंस्टीट्यूट के नाम में विभाग के पास वास्तविक रूप से जमा राशि के साथ पूरी तरह से मिलान किया जाएगा।
- घ) 43वीं आर सी सी के प्राथमिक व्यय के लिए दिनांक 22.11.2023 को भुवनेश्वर चैप्टर के लिए अग्रिम के रूप में 10,00,000/- रु. की राशि का भुगतान किया गया था, जो दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार असमायोजित पड़ी है।
- ङ) विविध लेनदारों द्वारा 86,803/- रु. की राशि का ऋण, जिस पर लंबे समय से दावा नहीं है, पुनरांकित किया गया है।
- च) विविध देनदारों द्वारा 15,32,585/- रु. की राशि, जो 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 3 वर्षों से अधिक समय से पड़ी हुई है, बट्टे खाते डाली गई है।
- छ) दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 13,07,101/- रु. की अन्य अग्रिम राशि 2013 से बहियों में पड़ी है, जिसके लिए कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, उसे बट्टे खाते डाला गया है।

4. डब्ल्यू आई आर सी के संबंध में

- क) एफ डी ए पी एल से प्राप्य 67,30,000/- रु. के दावे, जो अनुसूची-3 – चालू परिसंपत्तियों में दशाई गई है, पूरी तरह से वसूलनीय मानी गई है।

ख) चालू देयताओं में दर्शाई गई 4,20,707/- रु. की वसूलनीय राशि के लिए प्रावधान ए जी एम द्वारा अनुमोदन किए जाने पर पुनरांकित किए जाएंगे क्योंकि यह भुगतान योग्य नहीं है। इसी प्रकार, यह राशि मुख्यालय के खाते में वसूलनीय दर्शाई गई है जिसे ए जी एम द्वारा अनुमोदन के अध्यक्षीन बट्टे खाते डाले जाने की भी जरूरत है।

5. एन आई आर सी के संबंध में

क) (i) दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 0.99 लाख रु. की राशि चैप्टर के पास चालू शेष होने के कारण क्षेत्र के खाते में पड़ी है, जिसका मिलान किया जाना शेष है।

(ii) एन आई आर सी के चैप्टरों के लिए अन्य ऋण – एन आई आर सी के तहत विभिन्न चैप्टरों को काफी समय पहले 34.87 लाख रु. की राशि दी गई थी, जिसके लिए चैप्टरों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

(iii) एनआईआरसी पर 1,45,710/-रूपए की टीडीएस की मांग बकाया है ।

(iv) 1,67,690/- रु. की राशि दी गई प्रतिभूति जमा और 15,488/- रु. की दी गई अग्रिम राशि 3 वर्षों से भी अधिक समय से बकाया है और संदिग्ध मानी गई है।

ख) अवधि पूर्व आय

(i) इसमें सावधि जमा पर पिछले वर्ष के संबंध में ब्याज के लिए 3,39,752/- रु. शामिल हैं।

(ii) इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जी एस टी प्रमाणपत्र कोर्स के लिए 51,000/- रु. की आय और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कार्यक्रम के संबंध में प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए 7,77,000/- रु. शामिल हैं।

ग) अवधि पूर्व व्यय

(i) इसमें ई पी एफ ओ द्वारा अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए दिनांक 2 जनवरी, 2023 के संदर्भ सं. डीएल/सीपीएम/17428/डेमेज-II/7881 के तहत, धारा 14बी और 7 क्यू के अंतर्गत जांच के लिए उठाई गई मांग के लिए 26,56,597/- रु. शामिल है।

6. कोचीन चैप्टर के संबंध में

आकस्मिक देयता

(i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक सब-कोर्ट आदेश था। ये मामले सी एफ ई के पड़ोसियों द्वारा दायर किए गए थे, जिसमें सी एफ ई द्वारा किए गए निर्माण के कारण उनके भवनों को क्षति होने का दावा किया गया था। डिक्री की राशि 19,38,785/- रु. थी, जिसमें 13,00,000/- रु. मुआवजे के लिए 6,38,755/- रु. का ब्याज शामिल था। चैप्टर ने एर्नाकुलम जिला न्यायालय के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी और एक स्थगन याचिका भी डाली गई थी और एर्नाकुलम जिला न्यायालय ने इस शर्त पर डिक्री पर कार्रवाई पर रोक लगाई थी कि चैप्टर द्वारा 15,00,000/- रु. की राशि की एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी और उसे प्रस्तुत कर दिया गया था। जिला न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है और इसलिए इंस्टीट्यूट ने माननीय केरल उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया है। मामला मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार मुख्यालय को सौंप दिया गया है और मामले को कोलकाता में मुख्यालय द्वारा पैनलबद्ध वकीलों द्वारा निपटाया जा रहा है। न्यायालय से निर्देशों के आधार पर 28 नवंबर, 2023 को 543,885/- रु. की एक अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई। चूंकि मामला न्यायालय में है, अतः अंतिम परिणाम के बारे में किसी महत्वपूर्ण संभावना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः इस समय आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

(ii) चलिव्कावेटम, ग्रामीण व्यानशाला रोड, विटिला, एर्नाकुलम में भवन के निर्माण के लिए चैप्टर द्वारा प्रदान किए गए कार्य अनुबंधों के मामले में, ऐसे कार्य अनुबंध के लिए, कर (डब्ल्यू सी टी) कटौती करने के लिए प्रदाता जिम्मेदार है, जिनमें सामग्रियों की आपूर्ति और श्रम दोनों शामिल हैं। कोचीन चैप्टर, जब तक कि संबंधित ठेकेदारों से फार्म नं. 1ईई में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता, ठेकेदारों से, उन्हें भुगतान किए जाने से पूर्व कार्य अनुबंध कर कटौती और भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। 75,80,762/— रु. की राशि के कार्य अनुबंध के मामले में, फार्म 1ईई प्राप्त नहीं किया जाता। उपरोक्त पर कार्य अनुबंध कर देनदारी 6,06,461/— रु. और ब्यज की है। चैप्टर ने डब्ल्यू सी टी पंजीकरण नहीं लिया है, क्योंकि सभी ठेकेदार कर विभाग के पास पंजीकृत हैं और वे फार्म 1ईई प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गए हैं। चैप्टर ने 4,67,057/— रु. की राशि रख ली है, जिसे फार्म 1ईई के संबंध में जिम्मेदारी पूरी किए जाने के बाद ही ठेकेदार को जारी किया जाएगा।

7. भुवनेश्वर चैप्टर के संबंध में

(क) दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार केनरा बैंक में 20,94,405/— रु. की अग्रिम शेष राशि पड़ी है, जिसमें 1,85,460/— रु. की वित्तीय सहायता शामिल है, जो अंतिम पाठ्यक्रम पूरा कर रहे सी एम ए छात्रों के चिकित्सा उपचार के लिए सदस्यों से प्राप्त हुई थी और 12,58,381/— रु. की राशि 43वीं क्षेत्रीय परिषद सम्मेलन के लिए हैं।

(ख) दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अवकाश नकदीकरण का कुल आकलन 25,56,414/— रु. था। इसमें से 4,69,840/— रु. का पहले मुख्यालय को भुगतान कर दिया गया था, जिसका वर्तमान निधि मूल्य दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार 8,68,843/— रु. है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्ष के दौरान 31.03.2023 तक किया गया प्रावधान 10,68,333/— रु. था। इस प्रकार 6,19,238/— रु. की शेष राशि अवधि पूर्व अवकाश नकदीकरण व्ययों के अनुसार खाते में ली गई है।

8. क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के संबंध में आवश्यक समायोजन प्रवृष्टियां वित्तीय विवरणों के समेकन के समय की गई है।
9. विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, वहां वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/ प्रकटीकरण के अनुसार पुनःवर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणियां 1 से 20 के लिए हस्ताक्षरित

सीएमए सोमा बनर्जी
अपर निदेशक – वित्त

सीएमए डॉ. कौशिक बनर्जी
सचिव

सीएमए बिभूति भूषण नायक
उपाध्यक्ष

सीएमए अश्विन जी. दलवाडी
अध्यक्ष

स्थान : कोलकता

दिनांक : 21 जुलाई, 2024

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

Kolkata, the 27th September, 2024

No. G/20-CWA/9/2024.—In pursuance of Sub-Section 5B of Section 18 of the Cost Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 2024 are hereby published for general information.

KAUSHIK BANERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./530/2024-25]

65th, ANNUAL REPORT, 2023-24

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 65th Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute.

Abridged Annual Report 2023-24**Directorate and its Activities****Activities of the Committees/Boards/Cells/ Directorates****✓ President's Office**

President's office at Delhi and Kolkata facilitates coordination of various activities on behalf of the President of the Institute with Departments of the Institute and external agencies. The Department also carried out various tasks, and jobs assigned by Council Members, Former Presidents and Higher Officials of the Institute.

✓ Directorate of Examination

The Foundation, Intermediate and Final examinations were held in offline centre-based mode in June 2023 and December 2023 term. The Examination was conducted in 161 and 181 examination centres (including 3 overseas centres) for June and December 2023 term of examination respectively. In total there were 31214 examinees for the Foundation examination and 179079 examinees had appeared in the Intermediate and Final examinations of June and December 2023 term. The results of all examinations were published smoothly adhering to the time schedules and conforming to the standards.

✓ Finance Department

The input from Finance Department is Audited Annual Accounts and Audit Report for F.Y 2023-24 as approved by Council.

✓ Directorate of Studies

The Directorate is mainly focused on students' related activities and always striving to serve them better by performing several activities through online or offline mode.

Presently it is having six distinct wings:

(A) Academics

(B) Administration

(C) Online Coaching/E-Learning

- (D) Skills Training
- (E) Practical Training
- (F) IOTP

While Academic wings of D.O.S is assigning with the duties to develop the skill of the students through knowledge, comprehension, application and analysis of various academic related matters, the Administrative wing of D.O.S administers the other functional activities such as students' admission, coaching, revalidation, exemption, training and all related matters. Some activities are jointly handled and looked after by both these wings.

✓ **Membership Department**

The Membership Department has continued to improve and offer seamless services, mostly through online to members throughout the year. Maintaining the continuity of DIGILOCKER facility for members, especially for availing online Members' Identity Card together with the processing followed by grant of membership on every week, the existing special features which were introduced earlier were continued as well as with introduction of some new features.

Some of the salient features of the department are:

- ❖ Provision for restoration of Certificate of Practice.
- ❖ Waiver of convenience charges / bank charges in making online payments by Members.
- ❖ Provision for incorporation of GST number against membership number along with the reflection of the same in their corresponding membership fees receipts.
- ❖ Facility of payment of membership fee online without login.
- ❖ Faster grant of Certificate of Practice in a regular manner.
- ❖ Publication of List of Members as well as List of Members holding Certificate of Practice.
- ❖ Introduction of facility of Mobile OTP based login system.
- ❖ OTP based verification of mobile no. and email id of the new applicant for membership.
- ❖ Introduction of photo and signature of the member at Associate and Fellow membership certificates.
- ❖ Introduction of one-time Remission/Amnesty Scheme for the members whose names were removed earlier due to non-payment of membership fees.
- ❖ Continuous improvement for a seamless digital experience covering all activities of membership through online facility.

✓ **Directorate of Journal & Publications**

- ❖ The Directorate publishes monthly journal "The Management Accountant" and quarterly journal "Research Bulletin" on regular basis.
- ❖ The Management Accountant journal is now available in 94 countries across the world and continuously trying to increase the same to other parts of the world.

- ❖ The Management Accountant journal is available on apps for reading through third parties viz. Magzter and Readwhere and the Directorate is also trying to enlist the same to other platforms mainly at the International Level.
 - ❖ The highly appraised Column “Digital Transformation” presented a wide array of topics on digital transformation like, Digital Leader and Digital Leadership; Challenges from 8Vs of Big Data Analytics; Web3 and Tokenisation for Asset Creation etc.
 - ❖ Column for Sustainability Leaf
 - ❖ Interview of Renowned Personalities
- ✓ **Information Technology Department**
- With the efficient use of Information Technology, the services to Institute’s stakeholders is getting better exponentially as Information Technology is contributing to overall growth of the Institute.
- ❖ Elections to the Council and Regional Councils, 2023
 - ❖ ICMAI Channel has been made live on JIO TV
 - ❖ Development of Fixed Asset Management System
 - ❖ Global Summit 2023
 - ❖ Migration of Application & Database Server on Microsoft Azure
 - ❖ Creation of Email IDs
 - ❖ Members Online System
 - ❖ Students Online System
 - ❖ Helpdesk Portal
 - ❖ Edu Connect Portal
 - ❖ Introduction of Chat Bot on ICMAI Website
 - ❖ TRD & BFSI
 - ❖ Development of New Sections for various courses conducted by various departments
 - ❖ IT Support during CMA Awards 2022
 - ❖ Online Events
 - ❖ IT Policy Review
- ✓ **Professional Development & CPD Directorate**
- ❖ **PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES**
 - Recognition of CMAs on the Institute’s representation
 - Representations to Government, PSUs, Banks and Other Organizations
 - Unique Document Identification Number (UDIN) Portal
 - MoU of the Institute
 - Guidance Note
 - Awards of the Institute
 - ❖ **CONTINUING EDUCATION PROGRAMME (CEP) ACTIVITIES**
 - Mandatory Capacity Building Training (MCBT) for COP holders
 - Continuing Education Programme
 - Programmes and Webinars
 - Joint Programmes

- ✓ **International Affairs Department**
 - Associate Membership of ASEAN Federation of Accountants (AFA)
 - International Meetings & Events
 - South Asian Federation of Accountants (SAFA)
 - Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)
 - International Federation of Accountants (IFAC)
 - Other International Events
- ✓ **Board of Advanced Studies & Research**
 - Advanced Studies Courses
 - Online Examinations
- ✓ **Technical Department**
 - Cost Accounting Standards Board (CASB)
 - Cost Auditing and Assurance Standards Board (CAASB)
 - Technical Cell (Cost Audit & Statutory Compliances)
 - Peer Review Board (PRB)
- ✓ **Banking Financial Services & Insurance Board**
 - A) Representation letters for inclusion of CMAs
 - B) Inclusion of CMAs in various opportunities
 - C) Representations towards various authorities
 - D) Representation to IRDAI
 - E) Meetings with Dignitaries for enhancing the scope of CMAs
 - F) Conducting various Events and Webinars
 - G) Various Months dedicated by the BFSIB by conducting various programmes
 - H) BFSI Insight Summit organized by the Business Standard
 - I) Publication of the BFSI Board
 - J) Online Certificate Courses
 - K) Daily Updates

✓ **Sustainability Standards Board**

The Council of the Institute of Cost Accountants of India has constituted the Sustainability Standards Board (SSB) in the year 2022 with the objective to enable the members of the Institute play an active role in the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) & Environmental, Social and Governance (ESG) compliance and disclosures.

The SSB has done the following activities for the year 2023-24.

1. Webinars
2. Monthly Newsletter titled *Sukhinobhavantu*
3. Course on ESG
4. Guidelines for implementing BRSR Core for Value Chain Partners and assurance standards for BRSR Core
5. Finalization of Sustainability Standards and many more

✓ **Management Accounting Committee**

The Management Accounting Committee of the Institute, is continuously making the endeavour to develop best practices and guidance on the relevant topics of Management Accounting that is of high importance to the members in practice, business and industry. The Committee proposes to facilitate communication and sharing of knowledge between the Institute and its members as well as other organizations dealing with Management Accountancy and to take up the task of issuing Management Accounting Guidelines and /

or Good Management Accounting Practices on the significant areas of Management Accounting worldwide.

✓ **Public Sector Undertakings Co-ordination Board**

The Board having 15 members which is headed by CMA Avijit Goswami as Chairman. This consists of members from the Council and also senior persons having rich PSU and industrial experience.

✓ **Members in Industry Committee**

- ❖ Publication of 'Industry Insights' Bulletin
- ❖ MII Portal - Industry Connect - <https://icmai.in/icmai/MI Industry Insights.php>
- ❖ MII LinkedIn Profile - <https://www.linkedin.com/in/members-in-industry-committee-4482052a9/>
- ❖ Five-day Online Industry Connect and Knowledge Enrichment Program:
- ❖ CFO Leadership Summits

✓ **Cooperative Development Board**

The Cooperative Development Board of the Institute of Cost Accountants of India for the year 2023-24 have functioned under the chairmanship of CMA Navneet Kumar Jain. Cooperatives are organizations formed at the grassroots level by people to harness the power of collective bargaining in the marketplace. Cooperatives are a state subject under the Constitution, meaning they come under the State Governments' jurisdiction, but there are many societies whose members and areas of operation are spread across more than one state.

✓ **Internal Control Committee**

Internal Audit

The Department had coordinated for the appointment of Internal Auditors for the year 2023-2024 for the Headquarters including Delhi Office, four Regional Councils (WIRC, SIRC, EIRC and NIRC) and nine Chapters (Bangalore, Hyderabad, Bhubaneswar, Jaipur, Vijayawada, Coimbatore, Thrissur Nellore and Cochin) with Turnover exceeding Rs. 1 crore and above through an Expression of Interest and also providing the scope of work and necessary coordination for such audit.

Purchase Proposals

The department has been vetting various purchase proposals originating from different departments at HQ, Delhi Office along with procurement proposals of Regional Councils and Chapters.

Implementation of Uniform Purchase Procedure

✓ **Regional Council & Chapters Coordination Committee**

The Committee is tasked with:

- Bridging the gap among Headquarters, Regional Councils & Chapters
- Improving operational efficiencies
- Encouraging Regional Council & Chapters to cooperate with compliance, rules & regulations of the Institute
- Proactively identifying issues and facilitating joint action on cross-cutting issues or issues of shared Concern.

Activities of the Committee:

- ❖ Region wise Chapters Meets in 2023
- ❖ National Chapters Meet in 2024
- ❖ Initiatives to revise the Chapter Bye Laws

✓ **Career Counselling & Placement Committee**

- ❖ To initiate, create and develop promotional, creative and meaningful content for disseminating knowledge, focusing on CMA Education and Career opportunities;
- ❖ To organize awareness programmes, deliberations, discussions, workshops and other similar types of activities for drawing the student's attention and awareness;
- ❖ To interact and collaborate with Schools, Colleges, Institutes, Universities, Higher professional Accounting bodies and other entities in India and exchange information aligning with the aims and objectives of the Committee;
- ❖ To organize and participate in various education, career counselling and job fairs;
- ❖ Conducting workshops in schools, colleges, Institutes and Universities on the topics of interest;
- ❖ To take up any other activities aligning with the aims and objectives of the Committee and Council.

✓ **Quality Review Board (QRB)**

The had 4 meetings during the Financial Year 2023-24.

✓ **Tax Research Department**

- Budget Seminar, 2024
- Celebrating the 7th Anniversary of GST Day
- Quiz
- Tax Bulletins
- Workshops
- Webinars
- Representation to the Government
- Taxation Help Desk
- Taxation Courses

Indirect Taxation

- Certificate Course on GST
- Advanced Certificate Course on GST
- GST Course for College and Universities
- Advance Course on GST Audit and Assessment
- Certificate Course on International Trade

Direct Taxation

- Certificate Course on TDS
- Certificate Course on Income Tax Return Filing
- Advance Course on Income Tax Appeals and Assessment
- Income Tax Course for College and Universities

✓ **CAT Directorate**

Activities:

- ❖ CAT Course for retiring/retired Defence Personnel
- ❖ NCVET Recognition
- ❖ Career Counselling
- ❖ New ROCC
- ❖ Examination
- ❖ Online Classes

✓ **PR**

- ❖ Institute's request to Govt. Ministries and Departments and its follow up
- ❖ Media Management
- ❖ Inviting VVIP's for Institute's Programmes as Chief Guests and Guests of Honor on behalf of the institute
- ❖ General

✓ **MSME & Start-up Promotion Board**

The following two publications of the MSME & Start up promotion board were released at 61st National Cost Management Accountants' Convention at Gujarat.

- (a) Compendium on the MSME Schemes
(b) Enterprises Performance & Risk Management for MSMEs
-

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**The Council of THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
Report on the Audit of the Financial Statements**

Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA** ('the Institute') which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2024, the Statement of Income and Expenditure and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matters described in the *Basis for Qualified Opinion* section of our report, the accompanying financial statements prepared in all material respects in accordance with the Cost Accountants Act, 1959, give a true and fair view of the financial position of the Institute as at 31st March, 2024, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Basis for Qualified Opinion

1. The consolidated financial statements of the Institute are prepared considering Head Quarter Kolkata, New Delhi Office, four Regional Councils and one hundred seven Chapters. Out of which the financial statement of one Chapter namely Jabalpur is unaudited.

Financial statements of nine Chapters are not available for consolidation in the consolidated financial statements of the Institute.

2. There is an un-reconciled net credit balance of Rs. 2,29,43,332 /- Cr (P.Y – Rs. 32,18,52,550/-Cr) classified under 'Current Accounts with Regional Councils and Chapters'. Refer Note No. 5 of Notes to Financial Statements.

3. In respect of Eastern India Regional Council (EIRC):

There has been an understatement of income in the books of EIRC Regional Council to the extent of Rs. 19,20,000/- for the FY 2023-24 (Total Rs. 49,60,000/- from September, 2021 to March, 2024) with respect to the part of the premises rented out to State Bank of India.

4. In respect of Northern India Regional Council (NIRC):

- i) The Council has not provided for the liability of gratuity in the books of accounts to the extent of Rs. 56,84,605/- as per valuation report received from LIC of India, Pension and Group

Schemes Department. Moreover, valuation has been done for 6 employees whereas there are 7 employees in the organization.

- ii) The Council has not maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets. No physical verification of fixed assets has been conducted during the year. However, the Management is in the process of preparation of fixed assets register and physical verification of fixed assets.

Financial impact of the above qualifications cannot be ascertained.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our responsibilities in accordance with these requirements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following notes:

a) In respect to Head Quarter:

1. Note No. 2(j) of Notes to Accounts which describes that, an amount of Rs. 4,99,78,350/- is lying in the books of Head Quarter representing CWIP in respect of which no further work has been carried out/undertaken during the last 6 years. Details as below:

Particulars	Amount (Rs.)	Remarks
Navi Mumbai Centre of Excellence	4,99,78,350/-	Last amount paid Rs.5,66,334/- on 13.07.2016 & Rs. 22,400/- on 17.08.2016 to the Contractor. However, litigation is pending before Bombay High Court vide Commercial Arbitration Petition No 613 of 2021.
TOTAL	4,99,78,350/-	

b) In respect to EIRC:

- i) Note 3(c) of Notes to Accounts regarding TDS receivable balance of Rs. 4,14,918/- appearing as on 31.03.2024 which needs to be reconciled with reference to physical TDS certificates as well as actual deposits to the Department in the name of Institute from Income Tax Portal.
- ii) Note 3(d) of Notes to Accounts regarding an amount of Rs. 10,00,000/- paid as advance to Bhubaneswar Chapter on 22.11.2023 for 43rd RCC preliminary expenditure which is lying unadjusted as on 31.03.2024.

c) In respect to WIRC:

Note No. 4(a) of Notes to Accounts, which describes that, Claims receivable of Rs. 67,30,000/- appearing in the books of WIRC.

d) In respect to NIRC:

i) Note No. 5(a)(iii) of Notes to Accounts regarding pending demands of TDS at Traces for Rs. 1,45,710/- are pending for a long time but no provision has been made in the books as the Council is of view that demand will be quashed after rectification.

ii) Note No. 5(a)(iv) of Notes to Accounts regarding Security Deposits given amounting to Rs. 1,67,690/- and advance to employees amounting to Rs. 15,488/- which is considered to be doubtful, but no provision has been made against the same as the Council is of the view that they will recover the same.

e) The year-end balance confirmation of trade receivables, trade payables, loans and advances etc. have not been received from the parties.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Institute's Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Cost Accountants Act, 1959 and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Management is responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

1. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
2. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal control.
3. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.
4. Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
5. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in:

- i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and
- ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Other Matters

1. (a) We did not audit the financial statements of four Regional Councils and one hundred and six Chapters whose financial statements reflect total assets of Rs. 2,43,67,04,251/- and total revenue of Rs. 50,52,08,961/- as considered in the financial statements. The financial statements of these Regional Councils have been audited by Other Auditors, appointed by the respective Regional Councils and the financial statements of majority of these Chapters have been audited by Cost Accountants appointed by Governing Bodies of the Chapter in terms of Regulation 133 of the Cost Accountants Act, 1959, and Clause 26 of the Chapter Bye-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as

it relates to the amounts and disclosures included in respect of these aforesaid Councils and Chapters is based solely on the reports of the Other Auditors and Cost Accountants respectively.

- (b) The financial statements of one Chapter namely Jabalpur is unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this aforesaid Regional Council and Chapter based solely on such unaudited financial statements certified by the Management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, the financial statements as certified by the Management is not material in the context of overall financial statements of the Institute.
- (c) The financial statements for the year of the Institute do not include the financial statements of nine Chapters, as no financial statements have been received from their end.
- (d) The financial statements of the Institute for FY 2023-24 include ninety-seven Chapters audited by Cost Accountants and nine Chapters audited by Chartered Accountants.

Our opinion on the financial statements and our report on Other Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the Other Auditors and Cost Accountants, as the case may be and the financial statements certified by the Management.

- 2. The Fixed Asset Register for the Immovable Asset of the Institute is being updated.
- 3. The amount of Rs. 36,35,000/- released during FY 2020-21 is still lying as “Advance for Pune Building” under the head “Loans & Advances” and not being treated as “Capital Grant”
- 4. Labour Cess payable amounting to Rs. 1,41,157/- is lying in the books of accounts. As informed by the Management the same has not been paid due to delay on part of Government procedures.
- 5. An amount of Rs. 15,56,53,261/- has been reversed for excess provision made on account of current liabilities towards Regional Councils and Chapters which is included in prior period adjustment (net) as reported in Income & Expenditure Account.
- 6. During the FY 2023-24 an amount of Rs. 1,68,45,233/- GST input lying unutilized have been charged to Income & Expenditure Account.

7. With respect to Bangalore chapter

- i) On review of Internal Audit Report (First Half 2023-24) para 3 & 4, and based on e-mail received from the Head Quarters on 6th April, 2023 stating that “the recruitment/engagement of personnel at Bangalore Chapter of the Institute which took place without the consent or approval of the concerned authority(s) of the Head Quarters of the Institute stands cancelled with immediate effect. The salaries and other benefits drawn by them during their service tenure shall be recovered from the paying authority(s).” In this connection, the Chapter’s Management has taken action to terminate the concerned contractual employees. Further, the Chapter’s Management had written letter to the Head Quarters seeking clarification about ‘paying authority(s)’ in order

to recover the amount from them and also requested the Head Quarters to clarify the accounting treatment of the above receivables in the books of Bangalore Chapter, for which the reply is awaited. The salaries and other benefits paid to those contractual employees during their service tenure from FY 2017-18 to 2023-24 need to be quantified by the Internal Auditors.

Report on Other Regulatory Requirements

We further report that:

- a) Except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph above, we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b) Except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph above, in our opinion proper books of account as required by the Cost Accountants Act, 1959, have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Regions and Chapters read with paragraph 1 of 'Other Matters';
- c) The reports on the financial statements of the Regional Councils and Chapters of the Institute audited by the Other Auditors and Cost Accountants of the respective Regions and Chapters as have been received by us, were properly dealt with in preparing this report.
- d) The Institute's Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

For KGRS & Co
Chartered Accountants
Firm Registration No. 310014 E

Anshu Agarwal
Partner
Membership No. 308581
UDIN: 24308581BKFOFP3756

Place: Kolkata
Date: 21st July, 2024

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA				
BALANCE SHEET AS AT 31ST				
MARCH, 2024				
As At	PARTICULARS	Note	As At	
31st March 2023			₹	31st
	SOURCES OF FUNDS			
	INSTITUTE FUND			
4,233,909,019	General Fund	(1)		4,900,8
2,239,482	Employees' Gratuity Fund	(2)		2,2
12,880,698	Miscellaneous Prize Fund	(3)		13,3
50,541,678	Other Funds	(4)		19,3
778,431,364	Current Liabilities	(5)		444,9
17,256,939	Provisions	(6)		15,5
5,095,259,180	TOTAL			5,396,2
	APPLICATION OF FUNDS			
	Non Current Assets			
618,781,092	a) Property, Plant and Equipment	(7)	699,110,042	699,1
698,180	b) Intangible Assets	(7)	446,370	4
151,849,719	Capital Work In Progress			88,0
111,151,147	Investments	(8)		111,1
	Current Assets			
7,568,481	Inventories	(9)	9,252,542	
175,529,378	Trade Receivables	(10)	233,444,286	
3,977,417,448	Cash and Cash Equivalents	(11)	4,189,698,434	
52,263,735	Loans and Advances	(12)	65,105,481	
				4,497,5
4,212,779,042				
5,095,259,180	TOTAL			5,396,2
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	(20)		
Accompanying Notes 1-20 form an integral part of the financial statements				
<p>This is the Balance Sheet referred to in our report of</p> <p>even date. For KGRS & CO Chartered Accountants Firm Regn. No.: 310014E</p> <p style="text-align: center;">CMA Soma Banerjee Additional Director -Finance</p> <p style="text-align: center;">CMA Dr. Kaushik Banerjee Secretary</p> <p>Anshu Agarwal Partner Membership No. : 308581</p> <p style="text-align: center;">CMA Bibhuti Bhusan Nayak Vice President</p> <p style="text-align: center;">CMA Ashwin G. Dalwadi President</p> <p>Place : Kolkata Dated : 21/07/2024</p>				

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA			
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE			
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024			
For the Year ended 31st March 2023	PARTICULARS	Note	For the Year ended 31st March 2024
₹			₹
	INCOME :		
51,859,340	Membership and Other Fees	(13)	55,345,089
1,235,176,071	Tuition and Other Fees	(14)	1,304,622,758
308,685,692	Examination and Other Fees	(15)	341,082,187
25,774,494	C. P.D and Other Programme Fees		25,652,453
481,948	Journal Subscription incl. Advertisement		467,702
220,908	Sale of Publication		820,546
184,136,391	Interest		259,317,463
13,984,942	Other Income		10,315,948
1,820,319,785	TOTAL		1,997,624,146
	EXPENDITURE :		
369,515,306	Establishment Expenses	(16)	383,233,281
158,141,238	Office Expenses	(17)	198,581,521
2,135,149	Statutory Audit Fees		2,391,310
16,838,417	Travelling & Conveyance		14,419,768
301,940,529	Examination Expenses	(18)	239,833,167
42,903,223	Council and Committee Meeting Expenses		36,960,095
21,646	Election Expenses incl. Tribunal		20,192,488
11,361,041	Journal Expenses		19,992,191
11,796,583	Membership Subscription to Foreign Bodies		11,874,750
6,833,009	Conference & Meeting International		4,212,601
40,857,065	C. P.D, Technical Skill Development and Other Programme Expenses	(19)	44,254,997
14,967,624	Professional Development Expenses		12,040,446
390,935,780	Coaching Expenses		340,995,397
47,221,667	Study Materials and Prospectus Consumed		73,218,780
557,579	Publication Stock Consumed		2,907,718
855,855	Inventories and bad debts written off		4,474,977
16,636,602	Contribution to MBF & Critical illness		13,327,552
47,742,768	Depreciation and amortisation	(7)	50,341,405
1,481,261,080	TOTAL		1,473,252,444
339,058,704	Balance being excess of Income over Expenditure		524,371,702
5,869,896	Prior Period Adjustments (Net)		(135,754,171)
333,188,808	Balance being Surplus transferred to General Fund		660,125,873
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	(20)	
Accompanying Notes 1-20 form an integral part of the financial statements			
This is the Statement of Income and Expenditure referred to in our report of even date. For			
KGRS & CO			
Chartered Accountants			
Firm Regn. No. : 310014E		CMA Soma Banerjee Additional Director -Finance	CMA Dr. Kaushik Banerjee Secretary
Anshu Agarwal			
Partner			
Membership No. : 308581		CMA Bibhuti Bhusan Nayak Vice President	CMA Ashwin G. Dalwadi President
Place : Kolkata			
Dated : 21/07/2024			

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA			
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024			
For the year ended 31st March 2023	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2024	For the year ended 31st March 2024
₹		₹	₹
	A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
333,188,808	SURPLUS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEM	660,125,873	
	ADJUSTMENTS FOR:-		
47,742,768	DEPRECIATION AND AMORTISATION	50,341,405	
380,931,576	OPERATING SURPLUS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	710,467,278	
	ADJUSTMENTS FOR WORKING CAPITAL CHANGES		
117,096,755	INCREASE/(DECREASE) IN CURRENT LIABILITIES	(335,168,869)	
(30,422,714)	(INCREASE)/DECREASE IN CURRENT ASSETS	(72,440,716)	
86,674,041		(407,609,585)	
467,605,617	NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		302,857,693
	B. CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES		
(70,201,433)	MOVEMENTS IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS INCLUDING CWIP	(16,316,620)	
	DECREASE IN INVESTMENT		
(70,201,433)	NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)		(16,316,620)
	C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
(43,483,451)	MOVEMENT IN FUND BALANCE	(74,260,088)	
(43,483,451)	NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		(74,260,088)
353,920,733	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)		212,280,985
3,623,496,715	ADD- CASH & CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		3,977,417,448
3,977,417,448	CASH & CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE PERIOD		4,189,698,434
NOTES:-			
i. The above Cash Flow Statement has been prepared under 'Indirect Method' as set out in Accounting standard, AS - 3 on " Cash Flow Statement".			
ii. Cash and Cash Equivalents represent :			
1,204,785	Cash in hand	941,070	
200,681,972	Bank Balance - Current Account	245,795,614	
92,197,894	Bank Balance - Savings Account	88,808,664	
3,683,332,798	Fixed Deposits	3,854,153,087	
3,977,417,448		4,189,698,434	
This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date.			
For KGRS & CO			
Chartered Accountants			
Firm Regn. No. : 310014E			
	CMA Soma Banerjee Additional Director -Finance	CMA Dr. Kaushik Banerjee Secretary	
Anshu Agarwal			
Partner			
Membership No. : 308581			
	CMA Bibhuti Bhusan Nayak Vice President	CMA Ashwin G. Dalwadi President	
Place : Kolkata			
Dated : 21/07/2024			

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA		
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)		
NOTE NO.1 :		
GENERAL FUND		
As At 31st March 2023 ₹	PARTICULARS	As At 31st March 2024 ₹
3,898,048,503	Balance as per last Accounts	4,233,909,019
	Add :	
-	i) Capitalization of Chapter's Building	73,320,604
	ii) Transfer of Capital- Vindhyanagar Chapter	4,243,819
3,898,048,503		4,311,473,442
3,898,048,503		4,311,473,442
	Less- Adjustment for Chapters Building building	73,320,604
2,671,708	Add : Entrance Fees (Member)	2,589,840
3,900,720,211		4,240,742,678
333,188,808	Add : Surplus for the year as per annexed Statement of Income and Expenditure	660,125,873
4,233,909,019		4,900,868,551

NOTE NO. 2 :**EMPLOYEES' GRATUITY FUND**

As At 31st March 2023 ₹	PARTICULARS	As At 31st March 2024 ₹
1,296,391	Balance as per last Account	2,239,482
129,573	Add : Contribution for the year	(38,942)
1,425,964		2,200,540
622,391	Add : Interest earned on Fixed Deposit during the year	41,488
(191,127)	Less : Transferred to gratuity fund during the year	-
2,239,482		2,242,028

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA		
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)		
NOTE NO. 3 :		
MISCELLANEOUS PRIZE FUND		
As At 31st March 2023	PARTICULARS	As At 31st March 2024
₹		₹
12,419,397	Balance as per Previous Balance Sheet	12,880,698
43,833	Add : Addition during the year	228,121
568,023	Add : Income credited during the year	405,438
(150,555)	Less : Cost of the prize	(189,031)
12,880,698		13,325,226
NOTE NO. 4 :		
OTHER FUND		
As At 31st March 2021	PARTICULARS	As At 31st March 2022
₹		₹
4,198,087	Building Fund	2,213,979
4,497,251	Library Fund	4,577,251
41,846,340	Miscellaneous Fund	12,551,032
50,541,678		19,342,262

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO.5 :****CURRENT LIABILITIES**

As At 31st March 2023	PARTICULARS	As At 31st March 2024
₹		₹
1,151,900	Library Deposit	1,172,900
278,321,933	Trade Payables	173,194,354
321,852,550	Current Account with Regional Councils and Chapters	22,943,332
155,588,257	Other Liabilities	221,457,656
12,564,269	Payable to Members Benevolent Fund	12,720,169
8,952,455	TDS Payable	13,440,177
778,431,364		444,928,588

NOTE NO.6 :**PROVISIONS**

As At 31st March 2023	PARTICULARS	As At 31st March 2024
₹		₹
17,256,939	Provisions	15,590,847
17,256,939		15,590,847

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS****NOTE NO. 7 :****PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT & INTANGIBLE ASSETS**

Description of Assets	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost 01.04.2023	Addition during the period	Less : Sale/ Adjustment during the period	Total as on 31.03.2024	Upto 01.04.2023	For the year	Add/(Less) : Depreciation Adjustment during the year	Upto 31.03.2024	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
A. Property, Plant and Equipment :										
FREEHOLD LAND	198,565,488	10,889,941		209,455,429	-	-		-	209,455,429	198,565,488
LEASEHOLD LAND	64,431,251			64,431,251	11,350,070	832,057		12,182,127	52,249,124	53,081,181
FREEHOLD BUILDING	729,382,767	81,799,771	(393,174)	810,789,364	450,289,342	31,900,594	474,793	482,664,729	328,124,635	279,093,425
FURNITURE & FITTINGS	93,819,634	11,179,880	(124,441)	104,875,073	55,208,810	4,624,038	(3,384,977)	56,447,871	48,427,202	38,610,824
LIBRARY BOOKS	12,783,236	282,113		13,065,349	12,263,052	380,199	(229,808)	12,413,443	651,906	520,184
OFFICE EQUIPMENTS	106,774,089	7,818,149	(97,674)	114,494,564	74,268,529	5,747,558	(2,670,944)	77,345,143	37,149,421	32,505,560
GENERATORS	16,148,773	684,311		16,833,084	12,105,524	684,016	(26,751)	12,762,789	4,070,295	4,043,249
LIFT	14,168,449	3,082,882		17,251,331	10,639,546	884,517		11,524,063	5,727,268	3,528,903
MOTOR CAR	2,934,582	1,202,510		4,137,092	645,631	583,845		1,229,476	2,907,616	2,288,951
COMPUTER	70,472,144	4,646,787	(1,049)	75,117,882	63,928,816	4,424,183	(3,582,264)	64,770,736	10,347,146	6,543,328
CYCLE	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
TOTAL A	1,309,488,781	121,586,344	(616,338)	1,430,458,787	690,707,689	50,061,007	(9,419,951)	731,348,745	699,110,042	618,781,092
B. Intangible Assets :										
SOFTWARE	42,425,760	14,514	(33,198)	42,407,076	41,727,580	280,398	(47,272)	41,960,706	446,370	698,180
TOTAL B	42,425,760	14,514	(33,198)	42,407,076	41,727,580	280,398	(47,272)	41,960,706	446,370	698,180
Grand Total	1,351,914,541	121,600,858	(649,536)	1,472,865,863	732,435,269	50,341,405	(9,467,223)	773,309,451	699,556,412	619,479,272
Previous Year	1,325,515,909	26,573,207	(174,575)	1,351,914,541	686,036,348	47,742,768	(1,343,847)	732,435,269	639,479,561	
Capital-Work in Progress	151,849,719		(63,760,520)	88,089,199					88,089,199	151,849,719

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 8 :****INVESTMENTS (AT COST)
UNQUOTED**

As At 31st March 2023 ₹	PARTICULARS	As At 31st March 2024 ₹
	SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :	
500	50 (Previous year 50) Shares of Rs.10/- each in Rohit Chambers Premises Co-operative Society Limited, Mumbai (earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay)	500
110,000,000	Investment in Insolvency Professional Agency of ICAI 1,10,00,000 (Previous year 1,10,00,000 Nos.) of paid up shares of Rs.10 each)	110,000,000
1,100,000	1,10,000 (Previous year 1,10,000) Investment in ICMA-Registered Valuers Organisation	1,100,000
50,647	- Others	50,647
111,151,147		111,151,147

NOTE NO. 9 :**INVENTORIES**

As At 31st March 2023 ₹	PARTICULARS	As At 31st March 2024 ₹
2,657,387	- Publication Stock	2,443,686
3,056,760	- Study Material incl. Prospectus Stock	5,150,411
1,854,334	- Stock of Other Material	1,658,445
7,568,481		9,252,542

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 10 :****TRADE AND OTHER RECEIVABLES
(UNSECURED, CONSIDERED GOOD)**

As At 31st March 2023	PARTICULARS	As At 31st March 2024
₹		₹
26,049,317	Trade Receivable	30,447,801
149,480,061	Other Receivables	202,996,485
175,529,378		233,444,286

NOTE NO. 11 :**CASH AND CASH EQUIVALENTS**

As At 31st March	PARTICULARS	As At 31st March 2024
₹		₹
	Cash and Cash Equivalents :	
1,204,785	Cash in hand	941,070
	Balances with Scheduled Banks :	
200,681,972	On Current Account	245,795,614
92,197,894	On Savings Account	88,808,664
3,683,332,798	Fixed Deposits with Banks	3,854,153,087
3,977,417,448		4,189,698,434

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

NOTE NO.12 :

LOANS AND ADVANCES
(UNSECURED, CONSIDERED GOOD)

As At	PARTICULARS	As At
31st March 2023		31st March 2024
₹		₹
18,242,591	Other Advances	25,209,147
629,225	Festival Advance to Employees	560,261
21,364,841	TDS Receivable	22,824,667
1,424,264	Prepaid Expenses	11,272,900
10,602,814	Deposit	5,238,506
52,263,735		65,105,481

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO.13 :****MEMBERSHIP AND OTHER FEES :**

For the year ended 31st March 2023	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2024
₹		₹
40,944,868	Annual Membership Fees	39,849,596
9,046,075	Members Certificate of Practice Fees	9,053,240
-	Certified Facilitation Centre Fees	4,212,400
672,934	Members Complaint / Restoration Fees/Nomination Fees	917,130
-	Nomination Fee	519,050
1,159,150	Membership & Certification Fees - IMA(USA)	635,273
36,313	Certificate of Good Standing	158,400
51,859,340		55,345,089

NOTE NO.14 :**TUITION AND OTHER FEES :**

For the year ended 31st March 2023	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2024
₹		₹
36,324,900	Student Registration Fees	23,330,224
5,605,500	Practical Training Registration Fees	12,660,000
7,253,300	Practical Training/Subject Exemption Fees	9,015,500
1,119,336,310	Tuition Fees	1,172,483,882
52,595,256	CAT Course Income	63,638,312
4,892,200	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	3,403,149
5,440,671	Sale of Prospectus	2,384,043
3,727,934	Sale of Study Notes	17,707,648
1,235,176,071		1,304,622,758

NOTE NO.15 :**EXAMINATION AND OTHER FEES :**

For the year ended 31st March 2023	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2024
₹		₹
302,528,692	Examination Fees	333,644,279
6,157,000	Verification of Answers Paper Fees	7,437,908
308,685,692		341,082,187

<u>THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA</u>		
<u>NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)</u>		
NOTE NO.16 :		
ESTABLISHMENT EXPENSES		
For the year ended 31st March 2023	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2024
₹		₹
300,503,987	Salaries and Allowances	317,093,684
13,437,010	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	9,861,775
26,286,122	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	28,156,708
46,075	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	11,674
15,043,620	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	11,138,425
898,378	Employees' Leave Encashment - Existing	2,615,582
8,432,367	Medical Expenses	8,907,614
2,863,485	Leave Travel Allowance to Employees	3,021,144
1,437,228	RPFC Administration and E.D.L.I. Inspection Charges	1,579,879
567,034	Training and Development (H.R.D.)	846,796
369,515,306		383,233,281

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO.17 :****OFFICE EXPENSES**

For the year ended	PARTICULARS	For the year ended
31st March 2023		31st March 2024
₹		₹
8,203,332	Printing & Stationery	7,317,924
7,967,164	Postage, Telegrams, Telephones and Fax	9,837,384
1,880,720	Internal Audit Fees	1,895,300
10,523,080	Electricity Charges	13,201,224
280,487	Generator Expenses	307,518
10,323,935	Rates and Taxes	3,260,076
451,108	Insurance	352,016
11,311,762	Repair and Maintenance	10,747,121
1,357,064	Car Expenses	1,454,718
7,820	Interest on Caution Money Deposit	7,820
8,780,220	Legal Charges	5,864,645
735,187	Bank Charges	861,575
6,669,924	Computer Maintenance Expenses	6,868,394
2,512,558	Public Relation Expenses	4,477,108
3,644,220	Watch and Ward Expenses	3,994,408
566,718	Books and Periodicals	520,003
234,069	Delegate Fee	236,550
234,000	Gazette Notification	289,630
1,999,517	Staff Welfare	3,602,231
7,383,947	Rent	9,168,657
65,683,430	Administrative Charges	104,452,397
7,390,977	Sundry Expenses	9,864,821
158,141,238		198,581,521

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO.18 :****EXAMINATION EXPENSES**

For the year ended 31st March 2023	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2024
₹		₹
192,392,183	Examination Expenses	91,892,216
78,244,190	Examiners' Remuneration	85,899,927
29,944,026	Examination Center Expenses	60,537,005
126,887	Examination Expenses for oral coaching Students	14,250
1,233,243	Prize & Prize Distribution Expenses	1,489,769
301,940,529		239,833,167

NOTE NO.19 :**CPD PROGRAMME EXPENSES AND TECHNICAL SKILL**

For the year ended 31st March 2023	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2024
₹		₹
10,294,371	CPD Expenses	10,861,046
56,827	National Award including Best Chapter Award	99,308
9,080,516	Regional Cost / National Convention Expenses	5,790,327
17,651,068	CPD Expenses - RC's/Chapters	24,184,386
3,774,283	Technical Skill Development	3,319,930
40,857,065		44,254,997

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

Note-20

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis for preparation of Financial Statements

The Financial Statements are prepared as going concern under the historical cost convention, in accordance with the applicable Accounting Standards, the relevant provisions of the Cost Accountants Act, 1959, as amended and on accrual basis unless otherwise stated.

Basis of Consolidation

The financial statements of Headquarter (Kolkata), New Delhi Office, its Regional Councils and Chapters are consolidated line by line by adding together the like items of assets and liabilities, income and expenses after eliminating all material intra group balances, intra group transactions and resultant unrealized surplus/(deficit). Necessary adjustments are made wherever required.

Use of Estimates

The preparation of the financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known/ materialized.

Revenue Recognition

(a) Entrance Fees from Members

Entrance Fees received from members is credited to General Fund.

(b) Student Registration Fees

Registration Fees received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled and payment is received.

(c) Annual Members Fees

Annual Members Fees is recognized in the year to which it pertains and when the payment is received except advance

(d) Tuition Fees

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled and payment is received.

(e) Sale of Publications

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

(f) Examination Fees

Examination Fees is recognized for the concerned term (s) to which it pertains.

(g) Programme Fees

Revenue from Programme Fees is recognized as and when such activity is undertaken.

(h) Interest

Interest income in respect of fixed deposits with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount accrued and at applicable rate.

(i) Investment Income

Income from Investments is recognized as and when the right to receive the same is established.

Expenditure

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

- (i) The Annual Grants to Chapters are recognized on accrual basis based on claims.
- (ii) Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and net of impairment, if any. Cost comprises the purchase price and any other cost, attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use.

Intangible Assets

Intangible Assets being computer software are carried at cost less accumulated amortization and net of impairment, if any.

Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work in Progress.

Depreciation/Amortization

- (a) Depreciation/amortization on Property, plant and equipment and Intangible Assets is provided on written down value method as per Income Tax Act, 1961.
- (b) Leasehold land is amortized over the Lease period. The premium paid for acquisition of Lease Hold Land is amortized over the period of lease. The ground rent, if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.
- (c) Library books are depreciated at 40% in the year of purchase.

Investments

Long term investments are stated at cost. However, when there is a permanent decline in the value of long term investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

Inventories

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at lower of Cost or Net Realizable Value. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on Weighted Average basis and cost of paper is determined on First-In-First-Out (FIFO) basis.

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- (i) A provision is recognized:
 - (a) when there is present obligation as a result of past event;
 - (b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and
 - (c) a reliable estimate can be made of the amount of obligation.
- (ii) No provision is recognized for:
 - (a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;
 - (b) any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized nor disclosed in the financial statements.

Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate, prevailing at the Balance Sheet date. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the Statement of Income and Expenditure, in the period in which it arises.

Employee Benefits

i) Short term benefit

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the period. Unclaimed amount is provided for.

ii) Post employment benefit

Post-employment benefits such as Provident Fund, Gratuity, Leave Encashment etc. have been provided for, as applicable to Headquarter and Delhi Office and COEs.

Impairment of Assets

The carrying value of assets at each Balance Sheet date is reviewed for impairment. Impairment is recognized, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount.

Taxes on Income

The Institute has been granted exemption from Income Tax under section 12A read with section 11 of the Income Tax Act, 1961, as such no provision for income tax is made and no provision for deferred tax asset or liability is considered necessary.

Prior Period income/expenditure

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Statement of Income and Expenditure.

GST Unutilized Balance Written Off

Balance of GST Input Credit as on 31.03.2024 lying unutilized is charged to Income & Expenditure Account.

B. NOTES TO ACCOUNTS

1. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements of the Institute are prepared considering Headquarter Kolkata, New Delhi Office, four Regional Councils and one hundred seven Chapters. Out of which the financial statements of one Chapter namely Jabalpur is unaudited. Financial statements of nine Chapters namely, Vindhyanagar, Singrauli, Bokaro Steel City, Jajpur-Keonjhar, Jamshedpur, Naihati-Ichapur, Rajpur, Chandrapura and Muzaffarpur are not included in consolidated financial statements during current year, having not been received. However, current year's figures of the consolidated financial statements include the previous year's figures wherever available of these chapters.

2. With respect to Head Quarter:

- a) Contingent Liability (to the extent not provided for)
 - i) The Service Tax demand of Rs. 5,01,68,756/- (Previous Year Rs.5,01,68,756/-) along with applicable interest penalty of Rs. 5,01,68,756/- (Previous Year Rs.5,01,68,756/-) as per Finance Act, 1994 RW CGST Act, 2017 against which a sum of Rs.37,62,657/- (Previous Year Rs.37,62,657/-) being 7.5% of the demand has been paid and shown under the head "Loans and Advances". The Institute has filed an appeal against the demand which is yet to be adjudicated.
 - ii) As per policy, medical expenses are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years. As on 31st March, 2024, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to Rs 28,61,868/- (Previous Year Rs. 23,30,216/-).
- b) Exemption in respect of Income Tax has been granted under section 12A read with Section 11 of the Income Tax Act, 1961, Accordingly, no provision for income tax has been made. No provision for Deferred Tax Assets or Liability is considered necessary.
- c) All Prize Funds maintained by the Institute have been sponsored by different donors and are incorporated in the accounts with corresponding investment in Fixed Deposit with Banks, in terms of the decision of the Council.
- d) Fixed Deposits of Rs 190,48,46,113/- (Previous Year Rs. 189,81,79,094/-) (HQ Kolkata and Delhi office)

- e) Other Advances include Rs.1,36,097/- (Previous Year Rs.1,36,097/-) due from a former Council Member owing to disallowance by the MCA, Govt. of India and presently the matter is subjudice.
- f) Statutory Audit Fees (inclusive of GST) Rs. 5,45,210/- (Previous year Rs. 5,86,869/-) - Excluding Statutory Audit Fees in respect of Regions and Chapters.
- g) Provident Fund contributions are made to “The Institute of Cost Accountants of India Employees Provident Fund Trust.”
- h) The liability in respect of Gratuity, as per Payment of Gratuity Act, 1972 (as amended) is recognized on the basis of contribution made to the LICI against the Group Gratuity Policy.
- i) The liability in respect of leave encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LICI.
- j) Construction of Navi Mumbai Centre Excellence building at Belapur, Navi Mumbai on the leasehold plot taken from CIDCO was started in the year 2012-13. The tender for the said construction was given to Gulraj Construction Pvt Ltd in the year 2013. As per the decision of the Council construction work of the building was stopped in the year 2015, the super structure of the building consisting of ground plus 3 above floors was completed.

Due to this stoppage of the construction works Gulraj Construction, Civil Contractor of the project filed a case before the Hon'ble Arbitrator, Bombay claiming an amount of Rs. 4,70,40,917/- from the Institute for their loss of profit, overhead, escalation of cost due to time overrun of the project in the year 2017-18.

Subsequently, an Award of Rs. 81,48,937/- + interest @ 18% per annum from 07.05.2021 was passed by the Arbitral Tribunal on 07.04.2021 payable to Gulraj Construction. An appeal against the said Arbitral Award has been filed by the Institute before the Bombay, High Court.

The Honorable High Court of Bombay vide its Order dated 13th March, 2024 stayed on the operation, execution, and implementation of the Award dated 7th April 2021 subject to the Institute (Applicant/Petitioner) depositing the awarded amount of Rs.32,28,257/- and furnishing a bank guarantee of a Nationalized Bank with regard to the interest at the rate of 12% on principal amount of Rs 32,28,257/-, which is as on the date of Award is Rs 18,83,275/-.

The amount has been fully provided for in the books of accounts.

- k) The Institute had availed the services of AON Consulting Pvt Ltd (AON) for conducting online examination of June and December 2022 Term. The 338th Examination Committee in its meeting held on 14th January 2023 noted material breach

of the Contract in providing the satisfactory service by AON and has withheld payment amounting to Rs. 13,99,40,122 (incl. GST).

During the FY 2023-24, invoice of Rs. 5,71,933/- (incl GST) was received from AON pertaining to June 2022 Examination Term resulting in total amount payable to AON is Rs 14,05,12,055/- (incl. GST).

After direction received from competent authority, during the F.Y 2023-24, the payment was released to AON amounting to Rs.13,15,81,205/- (incl GST) after deduction of Rs.41,67,730/- (3.5% of base value excluding 18% GST on Rs.14,05,12,055/-i.e Rs.11,90,78,013) and deduction of applicable taxes.

- l) TCS-ION had been engaged by the Institute to conduct online Intermediate and Final Examination of Dec 2021 term. As noted by the 334th Council in its meeting held on 22nd January 2022 which was concluded on 7th March 2022 and the 335th Examination Committee in its meeting held on 7th March 2022 the services of TCS-ION were not satisfactory for which the final examination of the Institute for December 2021 was delayed and had to be rescheduled and conducted in a phased manner.

An invoice amounting to Rs.24,22,75,900/-(incl. GST) was received from TCS in the FY 2022-23. As per the approval from the Examination Department, it was decided to pay 50% of the billed amount and withheld the remaining 50% amount of Rs. 10,26,59,280 (excl GST). TCS-ION has served a legal notice dated 15th March 2023 demanding a payment of Rs. 12,52,44,320.80/-.

After direction received from competent authority, during the F.Y 2023-24, the payment was released to TCS-ION amounting to Rs.10,47,12,466/- (incl GST) after deduction of Rs.1,23,19,114/- (6% of base value excluding 18% GST on Rs.24,22,75,900/-i.e Rs.20,53,18,560/-) and deduction of applicable taxes.

- m) Investments (Not held in the name of the Institute)
- i) Investments in Insolvency Professional Agency of ICAI include 6 shares of Rs. 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of the Institute of Cost Accountants of India.
 - ii) Investments in ICAI Registered Valuers Organisation include 1 share of Rs. 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of The Institute of Cost Accountants of India.
- n) Amount of Rs. 36,35,000 released during the FY 2020-21 is still lying as “Advance for Pune Building” under the head “Loans & Advances” due to pending land transfer in the name of Head Quarter

- o) An amount of Rs. 15,56,53,261/- has been reversed for excess provision made on account of current liabilities towards Regional Councils and Chapters which is included in prior period adjustment (net) as reported in Income & Expenditure Account.
- a) Physical verification of movable fixed asset for the FY 2022-23 was conducted. As per the said report damaged/obsolete movable fixed asset amounting to Rs 2,24,109/- have been found and the same was been written off in the books of accounts.
 - b) Inventories consisting of old Syllabus books of the year 2016 amounting to Rs 35,45,363/- have been written off during the year.
 - c) Based on the available information with the Institute as at 31st March, 2024, there is no amount including Interest thereon payable to Micro Enterprises and small Enterprises as defined under “The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006”, as amended.

3. In respect of EIRC

- a) In accordance with the letter issued by the Secretary of the Institute, EIRC neither raised any invoice against the rent nor collected any amount from SBI from the period beginning from September, 2021 to March 2024 amounting to Rs. 49,60,000/-.
- b) Contingent Liability- A legal suit has been filed by some ex-contractual employees against EIRC of the Institute of Cost Accountants of India sometime in the year 2014, which is still pending. Status has not changed during the year. Necessary effect, if any, will be provided in the accounts after the closure of the case and as per final verdict.
- c) In TDS receivable account balance of Rs. 4,14,918/- is appearing as on 31.03.2024. This would be thoroughly reconciled with reference to the physical TDS certificates as well as actual deposits to the department in the name of the Institute from Income Tax Portal.
- d) An amount of Rs 10,00,000/- paid as advance to Bhubaneswar chapter on 22.11.2023 for 43rd RCC preliminary expenditure which is lying unadjusted as on 31.03.2024.
- e) Sundry Creditors amounting to Rs. 86,803/- being unclaimed for long period is written back.
- f) Sundry debtors amounting to Rs 15,32,585/- are lying for more than 3 years as on 31st March, 2024 has been written off.

- g) Other advances of Rs 13,07,101/- as on 31st March 2024 are lying in books since 2013 against which no details are available has been written off.

4. In respect of WIRC

- a) Claims receivable from FDAPL of Rs 67,30,000/- as appearing in Schedule 3 – Current Assets, is also considered fully recoverable.
- b) The amount of provisions for recoverable of Rs 4,20,707/- – Current Liabilities to be written back on being approved by the AGM since not payable. Similarly, the same amount is incorporated in the Headquarter Account as receivable which also needs to be written off subject to approval by the AGM.

5. In respect of NIRC

- a) (i) An amount of Rs 0.99 lakhs is lying as on 31st March 2024 in the books of the region being current account balances with the Chapters which is yet to be reconciled.
- (ii) Other Loan to Chapters of NIRC. - An amount of Rs 34.87 lakh loan has been given to various chapters under NIRC long ago for which no confirmation has been received from the chapters.
- (iii) NIRC has the outstanding TDS demand of Rs. 1,45,710/-.
- (iv) Security deposits given amounting to Rs. 1,67,690/- and advance given to former employee amounting to Rs. 15,488/- is outstanding for more than 3 years and considered to be doubtful
- b) Prior Period Income
- (i) Includes Rs. 3,39,752/- for interest on Fixed Deposit relating to previous year.
- (ii) Includes income of Rs. 51,000/- towards GST certificates course for the FY 2018-19 and Rs. 7,77,000/- for placement program pertaining to the program FY 2022-23.
- c) Prior Period Expenses
- (i) Includes Rs. 26,56,597/- towards demand raised by the EPFO against the enquiry u/s 14B & 7Q for the period April 2019 to July 2022 vide ref no. DL/CPM/17428/Damages-II/7881 dated 2nd January, 2023.

6. In respect of Cochin Chapter

Contingent Liability

- (i) During the financial Year 2018-2019 there was a Sub Court order against the Institute. These cases were filed by the neighbours of CFE claiming damage to their building due to the construction carried out by the CFE. The decreed amount is Rs.19,38, 785/- comprising of Rs. 13,00,000 for compensation and Rs 6,38,755/- towards interest. Chapter filed an against this order with District court of Ernakulum along with the appeal, a stay petition was also moved and the District Court, Ernakulum was pleased to stay the operation of the decree on a condition that the chapter will furnish a bank guarantee for a sum of Rs. 15,00,000/-, and the same was produced. The District Court has upheld the verdict of the lower court and hence the institute has decided to go for appeal in the Honourable High court of Kerala. The case has been handed over to the HQ as directives from HQ and case is handled by advocates empaneled by the HQ at Kolkata. An additional Bank Guarantee for Rs 543,885/- was furnished on 28th November 2023 based on the directive from the court. As the matter is in court, the final outcome cannot be predicted with any significant probability, Hence, no provision for contingent liabilities is being made at this stage.
- (ii) In case of works contracts awarded by the Chapter for the Constructions of Building at Chalikkavattom, Gramina Vayanasala Road, Vytilla, Ernakulam, awarder is responsible for deduction of tax (WCT) for those works contract involves both supply of materials and the labour. Cochin chapter is liable to deduct and pay the works contract tax from the contractors before the payment is made to them unless a certificate in form No.1EE is collected from respective contractors. In the case of work contracts amounting to Rs. 75, 80, 762/- the Form 1EE is not obtained. The works contract tax liability on the above will be Rs- 6,06, 461/- plus the interest. The Chapter has not taken WCT registration, as all contractors are registered with the tax department, and have agreed to submit Form 1EE. The Chapter has retained an amount of Rs. 4,67,057/- which will be released to contractors only after the liabilities in relation for 1EE have been fulfilled.

7. In respect of Bhubaneshwar Chapter

- a) Closing balance of Rs. 20,94,405/- lying in Canara Bank as on 31.03.2024 includes Finance Assistance of Rs 1,85,460 received from members for the medical treatment of CMA student pursuing Final Course & Rs 12,58,381 for 43rd Regional Council Conference.
- b) Total Value of Leave Encashment as on 31.03.2023 was Rs. 25,56,414. Against this Rs. 4,69,840 was paid to Head Office earlier, the present fund value of which as on 31.03.2023 is Rs.8,68,843/- and provision taken during the year for FY 2022-23 up to 31.03.2023 was Rs. 10,68,333/-. So balance amount of Rs. 6,19, 238/- has been taken into account as per prior period leave encashment expenses.
8. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of financial statements.
9. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to confirm to the current year's classification/disclosure.

Signatures to Notes 1 to 20

CMA Soma Banerjee
Additional Director -Finance

CMA Dr. Kaushik Banerjee
Secretary

CMA Bibhuti Bhusan Nayak
Vice President

CMA Ashwin G. Dalwadi
President